कार्यपालक निदेशक
राज्य आयुष समिति
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना
(निबंधन सं0–S000920/2017–18)

बिहार सरकार

स्थायी पता–आयुष निदेशालय, कमरा सं0–347, स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना– 15, वर्तमान पता –द्वितीय तल, पश्चिमी गाँधी मैदान, बिस्कोमान भवन, पटना–01
दूरभाष सं०–06122205133, वेबसाईट–http://ayush.bihar.gov.in, ई–मेल–biharayushsociety@gmail.com

सं०सं०– SASB/AYUSH/78/2019–511 (SASB) पटना, दिनांक – 11/9/2020

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह,
कार्यपालक निदेशक,
राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक
राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार
सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार
प्रबंधक, राजकीय औषध निर्माणशाला, पटना

विषय : **राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2019–20 में अनुमोदित चार मुख्य कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, आयुष ग्राम, आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का जिला स्तर पर संचालन/क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित करने के संबंध में।**

प्रसंग : **राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के पत्रांक–19(SASB) दिनांक–17.01.2019, पत्रांक–161 (SASB) दिनांक–25.03.2020, पत्रांक–10 (SASB) दिनांक–14.01.2019, पत्रांक– 168 (SASB) दिनांक–27.03.2020, पत्रांक–213 (SASB) दिनांक–29.04.2020,पत्रांक–287 (SASB) दिनांक–28.05.2020,पत्रांक–293 (SASB)दिनांक–29.05.2020, पत्रांक–379 (SASB) दिनांक–27.06.2020,पत्रांक–380 (SASB) दिनांक–27.06.2020, पत्रांक–396 (SASB) दिनांक–02.07.2020 एवं पत्रांक– 403 (SASB) दिनांक–06.07.2020**

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2019–20 में अनुमोदित चार मुख्य कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, आयुष ग्राम, आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का जिला स्तर पर संचालन/क्रियान्वयन किया जाना है।

उपरोक्त चार कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के पत्रांक–19(SASB) दिनांक 17.01.2019 एवं पत्रांक–161 (SASB) दिनांक 25.03.2020 द्वारा वित्तीय दिशा–निर्देश 2018–19 एवं 2019–20 में उपरोक्त चार कार्यक्रमों के संचालन हेतु राशि आपको उपलब्ध करायी गयी है।

कार्यक्रमवार राज्य स्तर के सम्पर्क पदाधिकारी/ कर्मी का नाम, पदनाम, सम्पर्क नं० एवं ईमेल आई.डी. निम्न तालिका में दर्शायी गयी है, किसी तरह की कठिनाई होने पर सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क करना चाहेगें:–

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	पदाधिकारी/कर्मी का नाम	पदनाम	सम्पर्क नं०	ईमेल आई.डी.
1.	सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा	डॉ० अजित कुमार सिंह	आयुष चिकित्सक	7800555264	ajeet.biharayushsociety@gmail.com
2.	आयुष ग्राम	डॉ० अरविन्द कुमार मिश्रा	आयुष चिकित्सक	9835402690	arvind.biharayushsociety@gmail.com
3.	आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम	डॉ० अरविन्द कुमार मिश्रा	आयुष चिकित्सक	9835402690	arvind.biharayushsociety@gmail.com
4.	आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	डॉ० अरविन्द कुमार मिश्रा	आयुष चिकित्सक	9835402690	ajeet.biharayushsociety@gmail.com
		श्री अमित कुमार	कन्सल्टेन्ट	8292589786	amit.biharayushsociety@gmail.com

उपरोक्त चार कार्यक्रमों के संचालन/क्रियान्वयन डॉ० आनन्द भूषण चौधरी, कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के नियत्रण में किया जायेगा।

अतः कार्यक्रम से सम्बन्धित जिला के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त चारों कार्यक्रमो का संचालन राज्य स्तर पर बनाये गये वितीय दिशा–निर्देश के अनुरूप ससमय कराना सुनिश्चित करेगें, साथ ही विस्तृत दिशा–निर्देश में कार्यक्रमवार विहित प्रपत्र में सूचना भरकर ससमय राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : **यथोक्त।**

11/9/2020

(अरविन्दर सिंह)

कार्यपालक निदेशक

राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना

राज्य आयुष समिति

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत बिहार में संचालित मुख्य कार्यक्रम

दिशा–निर्देश

(मार्गदर्शिका)

स्थायी पता–आयुष निदेशालय, कमरा सं०–347, स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना– 15,

वर्त्तमान पता –द्वितीय तल, पश्चिमी गाँधी मैदान, बिस्कोमान भवन, पटना–01

वेबसाईट– **http://AYUSH.bihar.gov.in**, ई–मेल–**biharAYUSHsociety@gmail.com**

सूची

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1	परिचय	**3 - 6**
2	समान्य दिशा–निर्देश	**7-10**
3	सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गतिविधि (**Public Health Outreach Activity**)	**11-18**
4	सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गतिविधि (**Public Health Outreach Activity**) मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र	**19 - 31**
5	आयुष ग्राम योजना (**AYUSH Gram Yojna**)	**32 -42**
6	आयुष ग्राम योजना (**AYUSH Gram Yojna**) मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र	**43- 63**
7	आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (**School Health Programme**)	**64- 66**
8	आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (**School Health Programme**) मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र	**67 - 70**
9	आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (**AYUSH Wellness Centre through Yoga & Naturopathy**)	**71-77**
10	आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (**AYUSH Wellness Centre through Yoga & Naturopathy**) मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र	**78-84**
11	मुख्य 04 कार्यक्रमों में होने वाले अनुमानित व्यय की विवरणी	**85**

1. परिचय

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुँच गतिविधियों से तात्पर्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों के मौलिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए प्रामाणिक आयुष उपचारों को आम जनता तक पहुँचाना है। इसके अन्तर्गत आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धान्तों के अनुरूप जीवनशैली पर जोर देते हुए पोषण सम्बन्धी कमियों, महामारी और वेक्टरजनित रोगों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या आदि से होने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने का काय किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुँच गतिविधियों में औषधियों के वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों, इत्यादि के लिए आयुष अस्पतालों, औषधालयों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों के माध्यम से समुदाय का व्यवहार परिवर्तन, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आयुष ग्राम के द्वारा समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया जाएगा।

क) सेवाओं तक पहच में सुधार द्वारा पूरे देश में लागत प्रभावी और सामयिक आयुष स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना।
ख) आयुष पद्धतियों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करना जिससे वे समाज की स्वास्थ्य परिचर्या म प्रमुख चिकित्सा पद्धति बना जाय।
ग) गुणवत्तायुक्त आयुष शिक्षा प्रदान करने में सक्षम शैक्षणिक संस्थानों में सुधार करना।
घ) आयुष औषधियों क गुणवत्ता मानक अपनाने को बढ़ावा देना अैर आयुष संबंधी कच्ची सामग्री की सतत आपूर्ति की उपलब्धता करवाना।

2. उद्देश्य :

क) आयुष अस्पतालों और औषधालयो के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह–स्थापना द्वारा सार्वभौमिक पहच सहित लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना।
ख) आयुष शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकार की एएसयू एव एच भेषजियों, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और एएसयू एवं एच प्रवर्तन तंत्र के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करना।
ग) उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना ताकि गुणवत्तायुक्त कच्चो सामग्री की सतत आपूर्ति हो और गुणवत्तायुक्त मानकों, उत्तम कृषि/संग्रहण/भंडारण पद्धतियों के लिए प्रमाणन तंत्र का समर्थ करना।
घ) खेती, भंडारण, मूल्य संवधन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता और उद्यमियो के लिए अवसंरचना का विकास।

3. मिशन के घटक

3.1 अनिवार्य घटक

क) आयुष सेवाएं
ख) आयुष शैक्षणिक संस्थान
ग) एएसयू एवं एच औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण
घ) औषधीय पादप

मिशन के प्रत्येक घटक के लिए ब्यौरे अलग दिशानिर्देश राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिये गये है।

3.2 नम्य घटक :–

क) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केन्द्र
ख) टेली–मेडिसीन
ग) आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा
घ) सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार
ड) निजी आयुष शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ब्याज सब्सिडी घटक
च) परीक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति
छ) आईईसी कार्यकलाप
ज) औषधीय पादपों से संबधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास
झ) स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम : परियोजना आधारीत
ञ) बाजार संवर्धन, बाजार ज्ञान और वापस खरीद हस्तक्षेप
ट) औषधीय पादपो के लिए फसल बीमा

4. संस्थागत तंत्र :

4.1 राष्ट्रीय स्तर :

4.1.1 मिशन निदेशालय :

राष्ट्रीय स्तर पर मिशन राष्ट्रीय आयुष मिशन निदेशालय द्वारा शासित किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें।

क्रं० सं०	पदनाम	स्थिति
1.	सचिव (आयुष)	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	ए एस एवं प्रबंध निदेशक, एनआरएचएम, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4.	सीईओ, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य
5.	मिशन निदेशक,बागवानी	सदस्य
6.	एएसयू एवं एच औषधों/संस्थाओं का कार्य संभाल रहे संयुक्त सचिव	सदस्य
7.	एएसयू एवं एच औषधों के औषध महानियंत्रक/डीसीसी का कार्य संभाल रहें वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	सदस्य
8.	आयुर्वेद, होमियोपैथिक, यूनानी, सिद्धा के सलाहकार	सदस्य
9.	सीएसएस के प्रभारी संयुक्त सचिव (एनएएम के पदेन मिशन निदेशक)	सदस्य सचिव

4.1.2 मूल्यांकन समिति :

राष्ट्रीय स्तर पर मिशन की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय आयुष मिशन मूल्यांकन समिति बनायी गयी है जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे।

क्रं० सं०	पदनाम	स्थिति
1.	एनएएम के प्रभारी संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2.	एएसयू एवं एच औषधों/संस्थाओं का कार्य संभाल रहे संयुक्त सचिव	सदस्य
3.	सीईओ/उप सीईओ, एनएमपीबी	सदस्य
4.	मिशन निदेशक, बागवानी अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5.	एनआरएचएम, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	आईएफडी के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	एएसयू एवं एच औषधों अपर औषध महानियंत्रक/डीसीसी का कार्य संभाल रहे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	सदस्य
8.	आयुर्वेद, होमियोपैथिक, यूनानी, सिद्धा और औषधीय पादपों के सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	सदस्य
9.	एनएएम के प्रभारी निदेशक/उप सचिव	सदस्य सचिव

4.2 राज्य स्तर

4.2.1 शासी निकाय (Governing Body)

राज्य स्तर पर राज्य आयुष समिति, बिहार के द्वारा शासो निकाय का गठन किया गया है, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें।

क्रं० सं०	पदनाम	स्थिति
1.	विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मनोनीत सदस्य	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/मनोनीत सदस्य	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/मनोनीत सदस्य	सदस्य
5.	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
6.	महानिदेशक, आयुष	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य
8.	राज्य औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य
9.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य सचिव

4.2.2 कार्यकारिणी समिति (Executive Body)

राज्य स्तर पर राज्य आयुष समिति, बिहार के द्वारा कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें।

क्रं० सं०	पदनाम	स्थिति
1.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	अध्यक्ष–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
2.	महानिदेशक, आयुष/विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक
3.	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
4.	वित्त विभाग के मनोनीत सदस्य	सदस्य
5.	पर्यावरण एवं वन विभाग के मनोनीत सदस्य	सदस्य
6.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य
7.	राज्य औषधि नियंत्रक	सदस्य
8.	निदेशक/उप निदेशक (आयुर्वेद), निदेशक/उप निदेशक (यूनानी) एवं निदेशक/उप निदेशक (होमियोपैथिक)	सदस्य
9.	अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य–सह–नोडल अधिकारी

4.3 जिला स्तर

4.3.1 शासी निकाय (Governing Body)

जिला स्तर पर जिला आयुष समिति, बिहार हेतु शासो निकाय का गठन किया गया है, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें।

क्रं० सं०	पदनाम	स्थिति
1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (समाज कल्याण विभाग)	सदस्य
4.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार)	सदस्य
5.	जिला शिक्षा पदाधिकारी (शिक्षा विभाग)	सदस्य
6.	जिला बागवानी पदाधिकारी (कृषि विभाग)	सदस्य

7.	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–सिविल सर्जन (स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
8.	अध्यक्ष द्वारा नामित आयुष मेडिकल एसोसिएशन/आयुष शैक्षिक संस्थान का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9.	अध्यक्ष द्वारा नामित जिले के लिए गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला आयुष महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक (यदि लागू हो)	सदस्य
11.	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी (आयुष)	सदस्य सचिव

4.3.2 कार्यकारिणी समिति (Executive Body)

जिला स्तर पर जिला आयुष समिति, बिहार हेतु कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें।

क्रं० सं०	पदनाम	स्थिति
1.	जिला विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला आयुष समिति, बिहार)	सदस्य
3.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार)	सदस्य
4.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जल और स्वच्छता विभाग)	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (शिक्षा विभाग)	सदस्य
6.	जिला बागवानी पदाधिकारी (कृषि विभाग)	सदस्य
7.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (ICDS)	सदस्य
8.	वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी (आयुष–स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
9.	वरिष्ठ होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी (आयुष–स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
10.	वरिष्ठ यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी (आयुष–स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
11.	प्राचार्य, आयुष महाविद्यालय एवं अस्पताल (यदि लागू हो)	सदस्य
12.	जिले के ड्रग इंस्पेक्टर (स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
13.	आयुष अनुसंधान केंद्र की इकाइयों के प्रभारी	सदस्य
14.	सिविल सर्जन द्वारा नामित आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
15.	जिला आयुष महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक (यदि लागू हो)	सदस्य
16.	सोसाईटी के कार्यकारी सचिव के रूप में शासी निकाय के नामित तीन सदस्य (जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी)	सदस्य सचिव

5. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत चलाये जाने वाले मुख्य कार्यक्रमः–

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गतिविधि (Public Health Outreach Activity)
2. आयुष ग्राम योजना (AYUSH Gram Yojna)
3. आयुष के पद्धति अधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme)
4. आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (AYUSH Wellness Centre through Yoga & Naturopathy)

समान्य दिशा–निर्देश

(General Guideline)

कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर समिति का गठन किया जाना है, जो निम्नवत है:—

राज्य स्तरीय समिति की संरचना

इस योजना के संचलान के लिए राज्य स्तर पर कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना है। जिसकी संरचना निम्न है :—

क्र० सं०	पदनाम	
1.	कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार	अध्यक्ष
2.	निदेशक, आयुर्वेद	सदस्य
3.	निदेशक, यूनानी	सदस्य
4.	निदेशक, होमियोपैथिक	सदस्य
5.	प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना	सदस्य
6.	प्राचार्य, राजकीय होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	सदस्य
7.	प्राचार्य, राजकीय यूनानी तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना	सदस्य
8.	प्रशासी—सह—बजट पदाधिकारी, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना	सदस्य
9.	कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना	सदस्य
10.	आयुष चिकित्सक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना	सदस्य
11.	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य आयुष समिति, बिहार	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति के कार्य :—

राज्य स्तरीय परियोजना के अनुसार विस्तृत कार्य योजना एवं कार्यान्वयन सम्बन्धित दिशा—निर्देश तथा अवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आई.ई.सी. मैटेरियल एवं विशेषज्ञ परामर्श एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विशेषज्ञों का व्याख्यान/सेमिनार/प्रस्तावना, परियोजना का पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर जिलों को परियोजना संचालन करने में मार्ग दर्शन देना।

- जिला स्तरीय समिति के लिए अपेक्षित आदेश एवं निर्देश जारी करना।
- कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु कार्यनीति एवं दिशा—निर्देशों के अनुसार राशि स्थानान्तरित करना।
- जिलो से प्राप्त क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
- आवंटित राशि के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करना।

जिला स्तरीय समिति :—

इस योजना से संबंधित राज्य स्तर पर प्राप्त दिशा—निर्देश के आलोक में परियोजना का कार्यान्वयन, क्रियाकलाप का संचालन, निगरानी तथा रिपोर्ट तैयार करने का कार्य संबंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी करेंगे, जो कार्यपालक निदेशक, राज्य अयुष समिति, बिहार, पटना को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। जिला स्तरीय समिति का गठन संबंधित जिले के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसमें निम्न अधिकारी सदस्य होंगे :—

क्र० सं०	पदनाम	
1.	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ के प्रतिनिधि /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्वास्थ्य समिति।	सदस्य
3.	जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	औषधीय पादपों के कृषिकरण से जुड जिला स्तरीय जद्यान/कृषि विभाग के अधिकारी/वन विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5.	जिला संयुक्त औषधालयों में कार्यरत आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पदधिकारी	सदस्य
6.	संबंधित ब्लॉक के आयुष चिकित्सक पदाधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति के प्रमुख कार्य–

1. कार्यक्रमों के अनुरूप क्रियान्वयन करवाना।
2. कार्यक्रमों हेतु आवंटित राशि सम्बन्धित पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।
3. कार्यक्रमों के तहत् किये गये कार्यो का पर्यवेक्षण व निरीक्षण करना।
4. कार्यक्रमों के पूर्व एवं पश्चात् ग्राम की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन तैयार कर राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना।
5. संबंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी जिला स्तरीय समिति के सदस्यों से समन्वय कर उक्त समिति की बैठक आयोजित करायेगें एवं राज्य स्तर पर सूचित करेगें।
6. कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही/निर्देश/आदेश जारी करेगें।

प्रखण्ड स्तरीय समिति :–

क्र० सं०	पदनाम	
1.	कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रखण्ड के नजदीकी राजकीय आयुष औषधालयों में पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	राजकीय उच्चतम शिक्षण संस्था/ स्कूलों के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक/ संबंधित राजकीय, सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/आयुष चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाएँ।	सदस्य
4.	ग्राम के सरपंच/ प्रतिनिधि	सदस्य
5.	महिला पर्यवेक्षक, महिला बाल विकास विभाग संबंधित परिक्षेत्र	सदस्य
6.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य
7.	कृषि पयर्वेक्षक	सदस्य
8.	ग्राम में सक्रिय स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष/ प्रतिनिधि	सदस्य
9.	स्थानीय गैर सरकारो संस्था (रजिस्टर्ड) का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	ग्राम के निजी पारंपरिक चिकित्सक/आयुष	सदस्य
11.	औषधीय पादपों की खेती से जुड़े कृषक/ उत्पादक।	सदस्य

प्रखण्ड स्तरीय समिति के प्रमुख कार्य :–

1. कार्यक्रमों के अनुरूप क्रियान्वयन करवाना।
2. कार्यक्रमों हेतु प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग कर योजना का सफल संचलान/ क्रियान्वयन करना।
3. कार्यक्रमों के तहत किये गये कार्यो का पर्यवेक्षण करना।
4. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से पूर्व एवं पश्चात् ग्राम की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन तैयार कर जिला स्तर पर उपलब्ध कराना।

व्यय के भुगतान की प्रक्रिया :–

सभी चिकित्साधिकारी प्रभारियों द्वारा राज्य स्तर पर चयनित एजेन्सी द्वारा क्रय की गई औषधियों, स्थानीय स्तर पर क्रय की गई औषधियों, कार्यक्रम के अनुसार अन्य किए गए व्यय आदि का भुगतान फर्म से प्रस्तुत बिल के अनुसार स्टॉक इन्द्राज एवं प्रमाणिकरण उपरांत जिला जिला देशी चिकित्सा पदाधिकरी उनके द्वारा प्राधिकृत आयुष चिकित्सक द्वारा किया जायेगा।

नोट :–यदि किसी मद में स्वीकृत राशि से कम व्यय होता है तो शेष बची हुई राशि दूसरे मद में आवश्यकतानुसार व्यय की जा सकेगी, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गतिविधि
(Public Health Outreach Activity)

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गतिविधि (Public Health Outreach Activity)का परिचय

पोषण संबंधी कमियों, महामारी और वेक्टरजनित रोगों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी समस्या आदि से होने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन में आयुष विधा के माध्यम से जागरुकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औषधियों के वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों आदि के आयोजन द्वारा समुदाय की स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए प्रामाणिक आयुष उपचारों के क्रियान्वयन और साथ ही आयुष विधा के अभिनिर्धारित राष्ट्रीय अभियाना जैसे जरा–चिकित्सा, एनिमिया रोगी अभियान आदि के लिए राज्य सरकार के कार्यालयों को सहायता प्रदान करना है। आयुष शैक्षणिक संस्थानों, आयुष औषधालयों की प्रदत सुविधाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को संबद्ध किया जाए ताकि सतत रूप स राज्य सरकार एवं राज्य आयुष मिशन के द्वारा समाज के स्वास्थ्य अपेक्षाओ से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जा सके।

2. उद्देश्य

क) निर्धारित समयावधि के दौरान चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र में संचारी, रोग (Communicable Disease) जैसे की Hepatitis B & C, मलेरिया, डेंगु, Tuberculosis, HIV, COVID-19 (कोरोना वायरस), चिकनगूनिया वायरस, Influenza, Cholera, Encephalitis या अन्य एवं गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease) जैसे कि Diabetes, , Carcinoma, Filariasis, Anemia, Mental Stress Blood Presure, Thyroid या अन्य या दोनों तरह के मामलों में रोग अधिभार की समस्या का आयुष विधि से रोकथाम एवं उपचार करना।

ख) क्षेत्र में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वच्छ खान–पान की आदतों में परिवर्तन तथा निरोधात्मक उपायों के महत्व के बारे में अभिजनों को जागरूक करना।

ग) बीमारियों की शुरूआती पहचान के लिए एक समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली Community Based Surveillance System (CBSS) स्थापित करना।

घ) विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वास करने वाली आबादी के आयुष उपचारों की सुलभता में वृद्धि करना।

3. कार्यनीति

योजना के सफल संचालन हेतु किये जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की विवरणी निम्नवत हैः–

3.1 राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण के लिए तिथि एवं स्थान का निर्धारण राज्य आयुष समिति, बिहार से किया जायेगा

प्रथम बैच – समय प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक		
क्रं० सं०	**प्रतिभागी**	**अनुमानित संख्या**
1.	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी	13
2.	संबंधित ब्लॉक के आयुष चिकित्साधिकारी	26
	कुल	**39**

3.1.1 राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला अनुमानित बजट :–

क्रं० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
1.	किट–प्रथम बैच	40@200	8000.00
2.	वर्किंग लंच/चाय नाश्ता	40@200	8000.00
3.	ट्रेनर मानदेय प्रति बैच 5	5@1000	5000.00
4.	प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर एल.ई.डी. आदि व्यवस्था	–	10000.00
5.	अन्य व्यय –फोटोग्राफर, स्टेशनरी,	–	15000.00

क्र० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
	मोबेलिटी, फोटो स्टेट टाईपिंग, रिर्पोटिंग आदि स्थानीय व्यवस्था आदि		
		कुल	**46000.00**
6.	राज्य स्तरीय सेमिनार, वर्कशॉप, आ.ई.सी. प्रिटिंग, प्रचार–प्रसार इत्यादि		**454000.00**
		राज्य स्तरीय कुल व्यय	**5,00,000.00**

3.1.2 कार्यान्वयन हेतु इकाई का गठन :–

चयनित ब्लॉक के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जायेगी जिन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना के तहत चिन्हित जिले में 2 चयनित ब्लॉक्स के लिए कार्यान्वयन की एक इकाई हागी,योजनानुसार एक स्वास्थ्य शिक्षा समूह का गठन किया जायेगा, जो समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली (Community Based Surveillance System) स्थापित करने का कार्य करेगा।

क) निम्न लक्षित आबादी के क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट प्रारूपों का निरूपण। वित्तीय वर्ष 2015–16 के स्वीकृति परियोजना के अनुरूप कार्यान्वयन की ईकाई का आकार प्रखण्ड होगा, 2 ब्लॉक प्रति चिन्हित निम्न जिला होगें:–

क्र० सं०	निर्धारित जिल	ब्लॉक
1.	भोजपुर	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दो प्रखण्डों का चयन कर अनुशंसित किया जायेगा।
2.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दो प्रखण्डों का चयन कर अनुशंसित किया जायेगा।

ख) वित्तीय वर्ष 2019–20 के स्वीकृत परियोजना के अनुरूप कार्यान्वयन की इकाई का आकार प्रखण्ड होगा, 2 ब्लॉक प्रति जिला होगें:–

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक
1.	पटना	बाढ़, बख्तियारपुर
2.	नालन्दा	राजगीर, इस्लामपुर
3.	मधुबनी	पन्डौल, राजनगर
4.	भागलपुर	सुल्तानगंज, गोपालपुर
5.	नवादा	नरहट, गोविन्दपुर

3.2 प्रखण्ड स्तरीय, स्वास्थ्य शिक्षा समूह का गठन एवं कार्य:–

1. स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, गैर–सरकारी संस्थानों, लोक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समुदाय के स्थानीय स्वयं सहायता समूह से नामांकित सक्षम व्यक्तियों से मिलाकर एक स्वास्थ्य शिक्षा समूह का गठन किया जाए और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।
2. यह प्रशिक्षित स्वास्थ्य शिक्षा समूह संचार तकनीकों के माध्यम से समुदाय के व्यवहार परिवर्तनकार्य हाथ में लेगें।
3. प्रशिक्षित स्वास्थ्य समूह का उपयोग पंचायत स्तर के प्रत्येक विभागों, शिक्षण संस्थानों इत्यादि में तथा पर्व–त्योहार जैसे भीड़–भाड़ वाले विशेष अवसर के दौरान ग्राम चौलों में स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता उत्पन्न करना।

4. स्वास्थ्य सामूहिककक्षों में दृश्य–द्रव्य एवं प्रिंट माध्यमों का प्रभावी उपयोग शामिल हैं।
5. फील्ड स्टाफ का चयन और प्रशिक्षण।
   – सम्बन्धित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी
   – चयनित ब्लॉक के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी – 02
6. समुदाय आधारित निगरानी तंत्र के लिए सार्वजनिक सहभागिता और आंकड़ा संग्रहण हेतु प्रशिक्षण दिया जाए।
7. परियोजना के अन्य हिस्सेदार स्थानीय स्वास्थ्य प्रदाताओं, स्थानीय गैर–सरकारी संगठन और क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की सहमति से स्वास्थ्य जागरूकता स्वच्छतासंबंधी मुहीम चलाऐगें।
8. स्वच्छता और रोगवाहक के नियंत्रण उपायों के बारे में 02 (दो) जागरूकता शिविर चलाया जाये।

3.3 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप योजना का क्रियान्वयन योजना के तहत् क्रियान्वयन में निम्नानुसार मुख्य कार्य करवायें जाने है:–

1. ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा समूह का प्रशिक्षण।
2. ब्लॉक स्तरीय दो दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन।
3. ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर दो माह की अवधि के दौरान 4 मिनी एक दिवसीय शिविरों का 15 दिवस के अंतराल में आयोजन।

3.3.1 ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा समूहों का प्रशिक्षण :–

प्रतिभागी संख्या –15

क्रं० सं०	प्रशिक्षणार्थी	संख्या
1.	संबंधित ब्लॉक के आयुष चिकित्साधिकारी	5
2.	संबंधित ब्लॉक के शिक्षक	2
3.	ग्प्रम सचिव / एन.जी.ओ. प्रतिनिधि	2
4.	आशा / स्वास्थ्यकर्त्ता	4
5.	जन प्रतिनिधि	2
	कुल	**15**

प्रशिक्षण अनुमानित बजट प्रति ब्लॉक

क्रं० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
1.	किट	15@150	2250.00
2.	वर्किंगा लंच / चाय नाश्ता	15@200	3000.00
3.	मानेदय राज्य स्तरीय–01 / जिला स्तरीय–02 ट्रेनर	राज्य स्तरीय @1000 जिला स्तरीय @500	2000.00
4.	प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर एल.ई.डी. आदि व्यवस्था	–	7000.00
5.	अन्य व्यय–फोटोग्प्रफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, फोटो स्टेट टाईपिंग, रिर्पोटिंग आदि स्थानीय व्यवस्था, अन्य आकस्मिक व्यय	–	6750.00
		कुल	**21,000.00**

3.3.2 शिविर

दो प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

1. ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर कुल– 01 प्रति ब्लॉक।
2. ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर दो माह की अवधि के दौरान 2 मिनी एक दिवसीय शिविरों कस 15 दिवस के अंतराल में आयोजन किया जायेगा।

1. ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर :–

प्रत्येक ब्लॉक पर स्वास्थ्य जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस शिविर में चिकित्सा के अतिरिक्त रोगों से लड़ने के लिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि हेतु आयुष औषधियाँ प्रदान की जायेगी। शिविर स्थल पर विभिन्न रोगों के उपचार हेतु बहिरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसमें आवश्यकतानुसार जिला आयुर्वेद अधिकारी चिकित्सक, नर्स, कम्पाउण्डर, और परिचारक की डियूटी लगाएंगे, जो शिविर ओ.पी.डी. में उपस्थित रहेगें।

2. एक दिवसीय शिविर में होने वाला अनुमानित व्यय–प्रत्येक ब्लॉक

क्रं० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
1.	प्रदर्शनी हेतु आई.ई.सी. (फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि)		4500.00
2.	मानदेय	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@1000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 03–आयुष चिकित्सक @500/-)	3000.00
3.	मोबिलिटी सपोर्ट	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@6000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 02–आयुष चिकित्सक @1500/-)	7500.00
4.	वर्किंग लंच, चाय नाश्ता आदि	20@200x2	8000.00
5.	स्थानीय परिवहन व्यय, प्रचार–प्रसार, पम्पलेट वितरण, मॉनीटरिंग		14500.00
6.	अन्य व्यय फोटोग्राफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, टाईपिंग, रिर्पोटिंग, माईक, टेन्ट, विद्युत, जल व्यवस्था, विडियों, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, स्थान का किराया , आकस्मिक व्यय आदि		12500.00
		कुल	50000.00
7.	औषध व्यवस्था		39000.00
		कुल व्यय	105000.00

3.3.3 ब्लॉक स्तरीय दो मिनी शिविरों का आयोजन प्रत्येक 15 दिन/एक माह के अंतराल

यह शिविर परियोजना के किसी एक हिस्से में जहां किसी प्रकार कि चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, वहां आयोजित किये जायेगें। जहां महामारी एवं वेक्टरजनित रोग फैल रहे हो या जहां मेले आदि भीड वाले विशेष अवसरों तथा त्योहारों आदि हो वहां स्थान चयन कर माह में दो बार 15 दिन/एक माह के अन्तराल में शिविरों का आयोजन किया जायेग।

एक मिनी शिविर में होने वाले अनुमानित व्यय

क्रं० सं०	प्रशिक्षणार्थी	संख्या
1.	स्थानीय परिवहन दो दिवस हेतु– प्रचार–प्रसार पम्पलेट, फलेक्स, इत्यादि की व्यवस्था मेडिकल टीम हेतु	5000.00
2.	अन्य व्यवस्था यथा – टन्ट, व्यवस्था, जलपान, रिपोर्टिंग आदि व्यवस्था	4500.00
3.	01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं आयुष चिकित्सक एवं स्थानीय परिवहन व्यवस्था @2000/-)	2000.00
	कुल	11500.00
4.	**औषधि व्यवस्था**	**9000.00**
	कुल व्यय	**20500.00**

औषधि व्यवस्था के अतिरिक्त प्रति शिविर 11,500 का अनुमानित व्यय होगा। इस प्रकार प्रति ब्लॉक @11,500x2=23, 000/- प्रति ब्लॉक दो मिनी शिविर में अनुमानित व्यय होगा।

इस प्रकार इस कार्य योजना में प्रति ब्लॉक कुल अनुमानित व्यय निम्नानुसार होगा:–

क्रं० सं०	मद	व्यय राशि
1.	प्रखण्ड में जनसंख्या का गणना	16000.00
2.	जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना	20000.00
3.	स्वास्थ्य शिक्षा समूहों का प्रशिक्षण	21000.00
4.	ब्लॉक स्तरीय विशाल शिविर 01	50000.00
5.	ब्लॉक स्तरीय मिनी शिविर 02	23000.00
6.	डेटा विश्लेषण (Data Analysis)	13000.00
	कुल	**1,43,000.00**
	औषधि व्यवस्था	**57,000.00**
	कुल व्यय	**2,00,000.00**

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2019–20 हेतुस्वीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में होने वाले कुल व्यय = 14 कार्यक्रम (07 जिला एवं 14 ब्लॉक)xरू० 2,00,000/-= रू० 28,00,000/- + (वर्ष 2019–20 @2.5 Lac x 05 प्रति यूनीट अतिरिक्त राशि 0.50 Lac x 5 = 5.00 Lac राज्यमुख्यालय स्तरीय व्यय किया जायेगा)

3.4 परियोजना मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण (प्रतिमाह)

1. जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी अपने जिला के स्वीकृत परियोजना के ब्लॉक अनुसार तिथि एवं स्थान का निर्धारण करते हुये राज्य आयुष समिति, बिहार से अनुमोदन प्राप्त करेगें, तद्नुसार राज्य स्तर से एक पर्यवेक्षक जिला में प्रोग्राम सम्पन्न कराने हेतु नामित किये जायेगें।
2. प्रशिक्षण एवं व्यय रिपोट सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रपत्र–I एवं II प्रति माह राज्य आयुष समिति, बिहार को जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा भरकर प्रतिमाह भेजी जाएगी।

4. स्वीकृत परियोजना

(क). वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत राशि

जन स्वास्थ्य पहुंच संबंधी गतिविधियों हेतु प्रत्येक जिले के लिए 2 ब्लॉकों की प्रत्येक ईकाई को 2 लाख रुपये को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हैः–

कुल राशि ''रू० 2 लाख प्रति ब्लॉक X 4 ब्लॉक = रू० 8 लाख''

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक	राशि	कुल राशि
1.	भोजपुर	ब्लॉक –1	रू० 2,00,000 / –	रू० 8,00,000 / –
		ब्लॉक –2	रू० 2,00,000 / –	
2.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ब्लॉक –1	रू० 2,00,000 / –	
		ब्लॉक –2	रू० 2,00,000 / –	

प्रति ब्लॉक कम्पोनेन्टवार विस्तृत राशि

क्र० सं०	मद	कम्पोनेन्टवार राशि	प्रति ब्लॉक कुल राशि
1.	जागरूकता कार्यक्रम	रू० 21,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 21,000 / –
2.	शिविर और प्रदर्शनी	रू० 89,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 89,000 / –
3.	फोलोअप शिविर	रू० 33,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 33,000 / –
4.	फोलोअप शिविर हेतु औषधि	रू० 57,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 57,000 / –
कुल राशि (प्रति ब्लॉक)			**रू० 2,00,000 / –**

(ख). वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत राशि

जन स्वास्थ्य पहुंच संबंधी गतिविधियों हेतु प्रत्येक जिले के लिए 2 ब्लॉकों की प्रत्येक ईकाई को 2.5 लाख रुपये को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हैः–

कुल राशि ''रू० 2.5 लाख प्रति ब्लॉक X 10 ब्लॉक = रू० 25 लाख''

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक	राशि	कुल राशि
1.	पटना	बाढ़	रू० 2,50,000 / –	रू० 25,00,000 / –
		बख्तीयारपुर	रू० 2,50,000 / –	
2.	नालन्दा	राजगीर	रू० 2,50,000 / –	
		इस्लामपुर	रू० 2,50,000 / –	
3.	मधुबनी	पण्डौल	रू० 2,50,000 / –	
		राजनगर	रू० 2,50,000 / –	
4.	भागलुपर	सुल्तानगंज	रू० 2,50,000 / –	
		गोपालपुर	रू० 2,50,000 / –	
5.	नवादा	नरहट	रू० 2,50,000 / –	
		गोविन्दपुर	रू० 2,50,000 / –	

प्रति ब्लॉक कम्पोनेन्टवार विस्तृत राशि

क्र० सं०	मद	कम्पोनेन्टवार राशि	प्रति ब्लॉक कुल राशि
1.	जागरूकता कार्यक्रम	रू० 21,000 / — प्रति ब्लॉक	रू० 21,000 / —
2.	शिविर और प्रदर्शनी	रू० 89,000 / — प्रति ब्लॉक	रू० 89,000 / —
3.	फोलोअप शिविर	रू० 33,000 / — प्रति ब्लॉक	रू० 33,000 / —
4.	फोलोअप शिविर हेतु औषधि	रू० 57,000 / — प्रति ब्लॉक	रू० 57,000 / —
5.	मुख्यालय स्तरीय	रू० 50,000 / —	रू० 50,000 / —
		कुल राशि (प्रति ब्लॉक)	**रू० 2,50,000 / —**

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा

(Public Health Outreach Activity)

मॉनोटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)

प्रपत्र–I

संबंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम (कैलेण्डर)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना हेतु आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण, विशाल शिविर एवं मिनी शिविर की कार्य योजनाः–

क्रं० सं०	जिला	ब्लॉक	नामित आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं०	प्रशिक्षण दिनांक	विशाल शिविर दिनांक	मिनी शिविर दिनांक
1.	भोजपुर					
2.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)					
3.	पटना	बाढ़				
		बख्तियारपुर				
4.	नालन्दा	राजगीर				
		इस्लामपुर				
5.	मधुबनी	पण्डौल				
		राजनगर				
6.	भागलपुर	सुल्तानगंज				
		गोपालपुर				
7.	नवादा	नरहट				
		गोविन्दपुर				

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सूचना प्रपत्र –2

ब्लॉक एवं जिला .... दिनांक............................

1	व्याख्यान का विषय	व्याख्यान देने वाले अधिकारी का नाम			विभाग का नाम
	1. 2. 3. 4. 5.				
2	प्रशिक्षणार्थी का नाम	प्रशिक्षणार्थी का विवरण			ई.मेल आई.डी.
		पद का नाम	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नं०	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
राज्य स्तरीय एक दिवसीय पशिक्षण कार्यशाला सूचना प्रपत्र –3

ब्लॉक एवं जिला .... दिनांक...........................

1	व्याख्यान का विषय	व्याख्यान देने वाले अधिकारी का नाम			विभाग का नाम
					1. 2. 3. 4.
2	प्रशिक्षणार्थी का नाम	प्रशिक्षणार्थी का विवरण			स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यानुभव (वर्षों में)
		विभाग/संस्था	मोबाईल नं०	ईमेल आई.डी.	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)

ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीयचिकित्सा शिविर सूचना प्रपत्र–4

ब्लॉक .... दिनांक–...........................

शिविर स्थल का नाम.. तहसील...................................... जिला...............................

क्र० सं०	गतिविधि	लाभार्थियों की संख्या			संबंधित अधिकारी जो उपस्थित रहे
		पुरूष	स्त्री	योग	
1.	चिकित्सा शिविर				1. 2. 3. 4. 5.
	औषध वितरण				
	परामर्श				
	रैफर किए गए रोगी				
	विशेष चिकित्सा जिसके लिए रैफर किया गया है	लाभार्थियों की संख्या			चिकित्सालय का नाम जहां रैफर किया गया
		पुरूष	स्त्री	योग	
	क. पंचकर्म				
	ख. क्षारसूत्र/अग्निकर्म				
	ग अन्य				
	होम्योपैथी चिकित्सा				
	यूनानी चिकित्सा				
	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा				
2.	व्याख्यान का विषय	लाभार्थियों की संख्या			व्याख्यान देने वाले अधिकारी का नाम
		पुरूष	स्त्री	योग	
	1. 2. 3. 4.				1. 2. 3. 4.
3.	प्रदर्शनी	लाभार्थियों की संख्या			
		पुरूष	स्त्री	योग	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)

<u>ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय चिकित्सा मिनी शिविर सूचना प्रपत्र</u>–5

ब्लॉक .... दिनांक–.................................

शिविर स्थल का नाम.. तहसील..................................जिला....................................

क्र० सं०	गतिविधि	लाभार्थियों की संख्या			संबंधित अधिकारी जो उपस्थित रहे
		पुरूष	स्त्री	योग	
1.	चिकित्सा शिविर				1.
	औषध वितरण				2.
	परामर्श				3.
	रैफर किए गए रोगी				4. 5.
	विशेष चिकित्सा जिसके लिए रैफर किया गया है	लाभार्थियों की संख्या			चिकित्सालय का नाम जहां रैफर किया गया
		पुरूष	स्त्री	योग	
	क. पंचकर्म				
	ख. क्षारसूत्र/अग्निकर्म				
	ग अन्य				
	होम्योपैथी चिकित्सा				
	यूनानी चिकित्सा				
	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा				
	कुल				

हस्ताक्षर कैम्प प्रभारी

दिनांक......................

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

दिनांक......................

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
व्यय प्रपत्र–6 ए.
जिला स्तरीय सक्षिप्त व्यय विवरणी

जिला... दिनांक.................................

क्रं० सं०	मद	व्यय राशि	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1.	प्रखण्ड में जनसंख्या का गणना	16000.00	
2.	जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना	20000.00	
3.	स्वास्थ्य शिक्षा समूहों का प्रशिक्षण	21000.00	
4.	ब्लॉक स्तरीय विशाल शिविर 01	50000.00	
5.	ब्लॉक स्तरीय मिनी शिविर 02	23000.00	
6.	डेटा विश्लेषण (Data Analysis)	13000.00	
	कुल	**1,43,000.00**	
	औषधि व्यवस्था	**57,000.00**	
	कुल व्यय	**2,00,000.00**	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
व्यय प्रपत्र–6 बी
ब्लॉक स्तरीय विस्तृत व्यय विवरणी

ब्लॉक एवं जिला ....दिनांक........................

प्रशिक्षण अनुमानित बजट प्रति ब्लॉक

क्र० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1.	किट	15@150	2250.00	
2.	वर्किंगा लंच/चाय नाश्ता	15@200	3000.00	
3.	मानेदय राज्य स्तरीय–01/जिला स्तरीय–02 ट्रेनर	राज्य स्तरीय @1000 जिला स्तरीय @500	2000.00	
4.	प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर एल.ई.डी. आदि व्यवस्था	–	7000.00	
5.	अन्य व्यय–फोटोग्रफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, फोटो स्टेट टाईपिंग, रिर्पोटिंग आदि स्थानीय व्यवस्था, अन्य आकस्मिक व्यय	–	6750.00	
		कुल	**21,000.00**	
		शेष राशि		

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
व्यय प्रपत्र –6 सी

ब्लॉक स्तरीय विस्तृत व्यय विवरणी

ब्लॉक एवं जिला ....दिनांक.........................

एक दिवसीय शिविर में होने वाला अनुमानित व्यय–प्रत्येक ब्लॉक

क्रं० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1.	प्रदर्शनी हेतु आई.ई.सी. (फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि)		4500.00	
2.	मानदेय	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@1000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 03–आयुष चिकित्सक @500/-)	3000.00	
3.	मोबिलिटी सपोर्ट	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@6000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 02–आयुष चिकित्सक @1500/-)	7500.00	
4.	वर्किंग लंच, चाय नाश्ता आदि	20@200x2	8000.00	
5.	स्थानीय परिवहन व्यय, प्रचार–प्रसार, पम्पलेट वितरण, मॉनीटरिंग		14500.00	
6.	अन्य व्यय फोटोग्राफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, टाईपिंग, रिर्पोटंग, माईक, टेन्ट, विद्युत, जल व्यवस्था, विडियों, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, स्थान का किराया , आकस्मिक व्यय आदि		12500.00	
		कुल	50000.00	
7.	औषध व्यवस्था		39000.00	
		कुल व्यय	105000.00	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकार

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
व्यय प्रपत्र–6 डी
ब्लॉक स्तरीय विस्तृत व्यय विवरणी

ब्लॉक एवं जिला .... दिनांक......................

एक मिनी शिविर में होने वाले अनुमानित व्यय

क्रं० सं०	प्रशिक्षणार्थी	संख्या	वास्तवीक व्यय (Rs.)	विपत्र सं०	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1.	स्थानीय परिवहन दो दिवस हेतु– प्रचार–प्रसार पम्पलेट, फ्लेक्स, इत्यादि की व्यवस्था मेडिकल टीम हेतु	5000.00			
2.	अन्य व्यवस्था यथा – टेन्ट, व्यवस्था, जलपान, रिपोर्टिंग आदि व्यवस्था	4500.00			
3.	01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं आयुष चिकित्सक एवं स्थानीय परिवहन व्यवस्था @2000/-)	2000.00			
	कुल	11500.00			
4.	**औषधि व्यवस्था**	**9000.00**			
	कुल व्यय	**20500.00**			
	शेष राशि				

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
प्रपत्र–7 ए
ब्लॉक स्तरीय जनसंख्या की गणना

जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम.................................
जिला की कुल जनसंख्या–... ब्लॉक की कुल जनसंख्या–...................................
दिनांक.....................

1.	**Number of Villages**			
2.	**Number of Towns**			
3.	**Number of Households**			
4.	**Population**	**Males**	**Females**	**Persons**
	Rural			
	Urban			
	Total			

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)
प्रपत्र–7 बी
जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना

नाम –.. पिता का नाम.–...
उम्र... लिंग.................................. वैवाहिक स्थिति...
पता–..
....
जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम..................................
मोबाईल नं०–.................................... नजदिकी आयुष औषधालय का नाम–...
नजदिकी स्वास्थ्य संस्थान का नाम–..
दिनांक......................

Sl. No.	Disease Name	Yes (√)
संचारी रोग (Communicable Disease)		
1.	Hepatitis B – C	
2.	Malaria	
3.	Dengue	
4.	Tuberculosis	
5.	HIV	
6.	COVID.19	
7.	Chikungunya Virus	
8.	Influenza	
9.	Cholera	
10.	Encephalitis	
11.	Others (Disease Name)	
गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease)		
1.	Diabetes	
2.	Blood Pressure	
3.	Thyroid	
4.	Carcinoma	
5.	Filariasis	
6.	Anemia	
7.	Mental Stress	
8.	Others (Disease Name)	

गणना करने वाले आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –..
....

हस्ताक्षर
दिनांक......................

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Health Outreach Activity)

प्रपत्र–7 सी

ब्लॉक स्तरीय जनसंख्या की गणना

जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम.................................

जिला की कुल जनसंख्या–... ब्लॉक की कुल जनसंख्या–...................................

दिनांक......................

1.	**Number of Villages**			
2.	**Number of Towns**			
	Number of Households			
3.	**Population**	**Males**	**Males**	**Persons**
	Rural			
	Urban			
	Total			

Sl. No.	**Disease Name**	**Total No. of Patent**	**Total No. of Patent Refered in nerest FRU**
संचारी रोग (Communicable Disease)			
1.	Hepatitis B – C		
2.	Malaria		
3.	Dengue		
4.	Tuberculosis		
5.	HIV		
6.	COVID.19		
7.	Chikungunya Virus		
8.	Influenza		
9.	Cholera		
10.	Encephalitis		
11.	Others (Disease Name)		
गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease)			
1.	Diabetes		
2.	Blood Pressure		
3.	Thyroid		
4.	Carcinoma		
5.	Filariasis		
6.	Anemia		
7.	Mental Stress		
8.	Others (Disease Name)		

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

आयुष ग्राम योजना

(AYUSH Gram Yojna)

आयुष ग्राम योजना

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आम जनता को आयुष चिकित्सा सेवाए सहज रूप से उपलब्ध करवाये जाने एवं उनके आधार पर स्वास्थ्य सूचकांको के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्धेश्य से आयुष ग्राम योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत् 5 गांवों /टोला की लगभग 10 हजार जनसंख्या को शामिल करते हुए प्रति इकाई 5.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिनमें स्वस्थ जीवन–यापन, रोगों की रोकथाम तथा उपचार के लिए ज्ञान का अथाह भण्डार है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों में आयुवद, योग, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश है। इन चिकित्सा पद्धतियों की आम जनता में स्वीकार्यता तुलनात्मक रूप से अधिक है।

स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने के प्रयोजनों की पूर्त्ति के लिए आयुर्वेद म दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त आदि का विशेष महत्व है। जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए रोगों से दूर रह सकता है। आयुष ग्राम योजना में स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने और रोगों से बचाव को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना से ग्रामवासियों के स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा।

राज्य में आयुष ग्राम योजना

राज्य में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष ग्राम योजना बिहार में प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से आयुष आधारित जीवन शैली की प्रचार प्रसार, व्यवहार परिवर्तन, स्थानीय औषधीय पादपों की पहचान एवं उनके उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण द्वारा उस क्षेत्र में पाई जाने वाली औषधियों की पहचान और उपयोग का ज्ञान करवाना एवं आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से आम जनता को लाभान्वित किया जा सकेगा। चयनित आयुष ग्राम प्रतिनिधियों को आयुष ग्राम की अवधारणा के प्रति जागरूक किया जायेगा, ताकि ग्रामीण समुदाय की भी सक्रिय भागीदारी हो सके। इसके लिए राज्य के निम्न जिलों को वर्तमान में चयन किया गया है :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत राशि के कार्यान्वयन की ईकाई का आकार 2 ब्लॉक प्रति जिला होगें:–

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक	ग्राम
1.	नालन्दा	राजगीर एवं बिहारशरीफ	प्रति ब्लॉक ऐसे 5 गांव मिलाकर जो कि 10000 आबादी कवर करता हो
2.	पटना	दानापुर एवं मनेर	प्रति ब्लॉक ऐसे 5 गांव मिलाकर जो कि 10000 आबादी कवर करता हो

वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत राशि के कार्यान्वयन की ईकाई का आकार 2 ब्लॉक प्रति जिला होगें:–

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक	ग्राम
1.	पटना	बाढ़, बख्तीयारपुर	प्रति ब्लॉक ऐसे 5 गांव मिलाकर जो कि 10000 आबादी कवर करता हो
2.	नालन्दा	राजगीर, इस्लामपुर	प्रति ब्लॉक ऐसे 5 गांव मिलाकर जो कि 10000 आबादी कवर करता हो

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक	ग्राम
3.	मधुबनी	पन्डौल, राजनगर	प्रति ब्लॉक ऐसे 5 गांव मिलाकर जो कि 10000 आबादी कवर करता हो
4.	भागलपुर	सुल्तानगंज, गोपालपुर	प्रति ब्लॉक ऐसे 5 गांव मिलाकर जो कि 10000 आबादी कवर करता हो
5.	नवादा	नरहट, गोविन्दपुर	प्रति ब्लॉक ऐसे 5 गांव मिलाकर जो कि 10000 आबादी कवर करता हो

आयुष ग्राम योजना के उद्देश्य –

1. निर्धारित समयावधि के दौरान चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र में संचारी, रोग (Communicable Disease) जैसे की Hepatitis B & C, मलेरिया, डेंगु, Tuberculosis, HIV, COVID-19 (कोरोना वायरस), चिकनगूनिया वायरस, Influenza, Cholera, Encephalitis या अन्य एवं गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease) जैसे कि Diabetes, , Carcinoma, Filariasis, Anemia, Mental Stress Blood Presure, Thyroid या अन्य या दोनों तरह के मामलों में रोग अधिभार की समस्या का आयुष विधि से रोकथाम एवं उपचार करना।
2. आयुष चिकित्सा पद्धतियों में वर्णित उन आहार आदतों तथा जीवन शैली के अभ्यास हेतु जन समुदाय के भीतर जागरूकता फैलाना, जिससे कि रोगों की रोकथाम करने तथा जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।
3. लोगों को उनके आस–पास के क्षेत्रों में मिलने वाली जड़ी–बूटियों के औषधीय गुणा की पहचान करवाकर, उन जड़ी–बूटियों के संरक्षण तथा खेती हेतु प्रोत्साहित करना।
4. लोगों को उनके क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी–बूटियों के प्रयोग के माध्यम से सामान्य रोगों के इलाज के बारे में सलाह देना।
5. संचारी रोगों यथा– मलेरिया, टी.बी., चिकनगुनिया इत्यादि के विरूद्ध अभियान चलाना उनकी रोकथाम और उपचार के लिए उपाय करना।

आयुष ग्राम की कार्यनीति :–

- आयुष ग्राम के नजदीकी संचालन में पदस्थापित आयुष चिकित्सा पदाधिकारी इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य योजनाओं की क्रियान्विति करेगे।
- स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं को औषधीय पादपों की पहचान तथा घरेलू नुस्खों के उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे।
- प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्त्ता गांव के स्वास्थ्य स्तर का रिकार्ड और स्वास्थ्य पंजिका रखेंगे तथा गांवों में वार्डो के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की जानकारी प्रदान करेंगे।
- औषधीय पादप बोर्ड के सदस्य किसानों को औषधीय पादपों की खेती के लिए प्रेरित करेंगे एवं औषधीय पादपों की खेती के लिए आवश्यक जानकारी व सहायता प्रदान करेंगे।
- क्षेत्र में औषधीय पादपों की पहचान की जाकर इनका उपयोग व सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
- गांव के पारम्परिक चिकित्सकों को भी औषधीय पादपों तथा घरेलू नुस्खों के रूप में उनके उपयोग की पहचान करने के लिए शामिल किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम में शामिल स्वयं सहायता समूह घरेलू नुस्खों के रूप में औषधीय मिश्रणों को तैयार करेगें तथा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की सहायता से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं हेतु इनका उपयोग

- करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करेंगे।
- योजना के तहत आयुष औषधालयों के परिक्षेत्र में योग शिविरों का आयोजन तथा औषधीय जड़ी–बूटियां उगाने का कार्य किया जायेगा।
- जागरूकता शिविर के एक भाग के रूप में मौसमी बीमारियों की जानकारी व उनकी रोकथाम तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वास्थ्यपरक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
- प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवापरान्त देखभाल, शिशु देखभाल, स्तनपान, टीकाकरण, संचारी रोगों, वृद्धावस्था देखभाल आदि के बारे में जागरूकता के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योंजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आयुष चिकित्सक योगदान देंगे।
- विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण एवं आस–पास के स्थानों पर जांच शिविर भी आयोजित करेंगे।
- आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्कूल अध्यापकों, स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक संगठनों आदि को प्रशिक्षित करते हुए जागरूकता लाने के लिए शामिल किया जायेगा।
- इस योजना के रिकार्ड का रखरखाव तथा मॉनीटरिंग जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, एवं राज्य मुख्यालय को आंकड़े प्रेषित करेंगे।

आयुष ग्राम योजना क्रियान्विति में विभिन्न विभागों की भूमिका :–

आयुष चिकित्सा विभाग :–

आयुष विभाग के स्थानीय चिकित्साधिकारी उस आयुष ग्राम योजना के नोडल अधिकारी होंगे एवं इनके द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जायेगा :–

- आयुष ग्राम योजना के अनुसार सम्पूर्ण कार्यो की क्रियान्विति करवाना यथा– प्रशिक्षण, रैली, शाला स्वास्थ्य परीक्षण, नुक्कड नाटक तथा शिविर, प्रदर्शनी, दीवारों पर स्लोगन लेखन कार्य आदि एवं प्रपत्र 1 व 3 के अनुसार सूचनाऐं प्रेषित करना तथा प्रपत्र 2 की सूचना संकलित कर आयुष के माध्यम से अपेक्षित परिणाम इंगित करते हुए मासिक रूप से प्रथम सप्ताह में प्रेषित करना।
- कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य योजनाओं की क्रियान्विति तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्र में पाए जाने वाले औषधी पादपों की पहचान तथा घरेलू नुस्खों के उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- आयुष चिकित्साधिकारी अन्य स्टाफ के साथ गर्भिणी की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोपरान्त देखभाल, शिशु की देखभाल के साथ स्तनपान, टीकाकरण, संचारी / गैर संचारी रोगों, जरावस्था के रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहायता करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान।
- कार्यक्रम के तहत आयुष औषधालयों के परिक्षेत्र में औषधीय पादपों को उगाने का कार्य तथा ग्राम के आस–पास पायी जाने वाली जड़ी–बूटियों की पहचान ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग कार्यकत्ताओं एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को करवाना।
- स्कूलों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना।
- आयुष सुविधाओं के माध्यम से बीमार लोगों को उपचार प्रदान करना।
- आयुष ग्राम कार्ययोजना की ग्राम स्तर पर सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- आयुष ग्राम में स्वास्थ्य संबंधित मुद्दो की पहचान कर ग्राम स्तर पर कार्यवाही करवाना।
- ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को घरेलू उपचार संबंधी प्रशिक्षण देना।

- आयुष ग्राम की काय योजना के आवश्यक मुद्दो को समूह के सदस्यों से विचार–विमर्श कर उन्हें कार्ययोजना में आवश्यकतानुसार सम्मिलित करना।
- ग्रामवासियों को आयुष ग्राम योजना के प्रति जागरूक करना।
- आयुष ग्राम योजना के तहत किये गये कार्यो के रिकार्ड का संधारण कर मूल्यांकन के लिए जिला स्तर पर भेजना।
- योजनानुसार प्राप्त राशि के अनुसार समुचित उपयोग सुनिश्चित करना तथा राशि के उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवाना।
- स्तत् आयुष चिकित्सा उपलब्ध करवाना एवं योग कक्षाओं के माध्यम से छात्र–छात्राओं एवं आमजन में जागरूकता लाना।

1. पंचायती राज्य एंव ग्रामीण विकास विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालय से सम्पर्क कर आयुष ग्राम के नोडल पदाधिकारी निम्न सहयोग प्राप्त करेगें :–

- आयुष ग्राम के लोगों को आयुष ग्राम योजना के प्रति जागरूक करना, आयुष ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन व संचालन में सहायता प्रदान करना।
- ग्राम, पंचायतों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाना, जिनमें स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वयं सहायता समूह और अन्य स्थानीय सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं को आयुष ग्राम कार्यक्रम में जोड़ना।
- ग्रामवासियों को आयुर्वेद के सिद्धान्तों के अनुरूप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक खान–पान व रहन–सहन की गतिविधियां जो आयुर्वेद चिकित्सक व ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा बताई जायेगी तथा उन्हें इसे अपनाने तथा स्वच्छता रखने हेतु ग्राम वासियों को प्रेरित करना।
- इस कार्यक्रम में शामिल स्वयं सहायता समूह द्वारा घरेलू नुस्खों के रूप में औषधी कल्पनाओं को तैयार करना तथा स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं की सहयता से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं हेतु इनका उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना।

2. राज्य आषधीय पादप मण्डल के प्रतिनिधि/जिला स्तरीय कृषि अधिकारी/ वन विभाग के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर आयुष ग्राम के नोडल पदाधिकारी निम्न सहयोग प्राप्त करेगें :–

- राज्य औषधि पादप बोर्ड/ कृषि विभाग/ उद्यान विभाग/ वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बहुतायत से प्रयोग होने वाली जड़ी–बूटियों को उस स्थान की जलवायु और बाजार के अनुसार खेती के लिए स्थानीय किसानों को प्रेरित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- उक्त कार्यक्रम के लिए आयोजित शिविरों में औषधीय पादपों की प्रदर्शनी लगाना, उनकी पहचान एवं उपयोग की जानकारी ग्रामवासियों को देना तथा स्थानीय औषधालयों एवं विद्यालयों में औषधीय पौधारोपण करना।

3. शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर आयुष ग्राम के नोडल पदाधिकारी निम्न सहयोग प्राप्त करेगें :–

- सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्यो द्वारा छात्र–छात्राओं के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता रली का आयोजन करवाया जायेगा।
- आयुष ग्राम के चयनित गांवों में आयोजित शिविरों में स्कूली छात्र–छात्राओं को स्वास्थ्य प्रदर्शनी का अवलोकन करवाना तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना।
- विद्यालय में छात्र–छात्राओं का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं योग कक्षाओं में सहयोग करना।
- स्काउट गाइड/ एन.सी.सी. कैडेट्स द्वारा आयुष ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं शिविरों में सहयोग प्रदान करवाना।

4. ग्राम के पारंपरिक चिकित्सक से सम्पर्क कर आयुष ग्राम के नोडल पदाधिकारी निम्न सहयोग प्राप्त करेगें :–

- गांव के पारम्परिक चिकित्सकों को औषधीय पादपों की पहचान तथा उनके औषधीय उपयोग की पहचान करने के लिए शामिल किया जायेगा।
- क्षेत्र में उपलब्ध जड़ी–बूटियों की पहचान सुनिश्चित करना तथा उनके घरेलू उपचार में उपयोग को बढ़ावा देना।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर आयुष ग्राम के नोडल पदाधिकारी निम्न सहयोग प्राप्त करेगें :–

- आयुष ग्राम से संबंधित चिकित्साधिकारी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शिविर म सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में रहते हुए विभाग की योजनाओं/ प्रदर्शनी में सहयोग प्रदान करेंगे। शिविर में प्राथमिक उपचार तथा इमरजेन्सी सेवाऐं उपलब्ध करवाऐंगे।
- अधीनस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं आशा सहयोगिनी को प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं शिविरों में उपस्थिति क लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।
- प्रशिक्षण एवं शिविर के पश्चात् आयुष ग्राम योजना का प्रचार–प्रसार करेंगे।
- स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आयुष ग्राम के सभी क्षेत्रों का स्वास्थ्य सूचकांक जैसे प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, टीकाकरण तथा उस क्षेत्र में संचारी रोगों तथा असंचारी रोगों के आधार पर सर्वे कर तथा सूचना का संकलन कर संकलित की गई सूचना आयुष चिकित्सा पदाधिकरी को उपलब्ध करवाऐंगें तथा प्रत्येक माह इस सूचना का अद्यतन (अपडेट) करेंगे। (प्रपत्र 2 के अनुसार)
- स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता गांव के स्वास्थ्य स्तर का रिकार्ड और स्वास्थ्य पंजिका रखेंगें तथा गांवो में स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की जानकारी पद्रान करेंगे।
- स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संचारी रोगों जैसे– मलेरिया, टी.बी., डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों का तथा जीवनशैली के कारण उत्पन्न रोगों जैसे– मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि का अलग से रिकॉर्ड रखेंगे।
- ग्राम वासियों को संचारी रोगो के कारणों के प्रति जागरूक करेंगे उनके घर, मोहल्लें व गांव में स्वच्छता रखने हेतु प्रेरित करेंगे।
- ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता स्थानीय स्तर पर पाई जाने वाली जड़ी–बूटियों के संरक्षण व सामान्य बीमारिया में इनके प्रयोग के प्रति ग्रामीण आबादी को जागरूक करेंगे।

- ग्राम वासियों को समय–समय पर आयोजित योग शिविरों में आकर स्वास्थ्य लाभ करने हेतु प्रेरित करेंगे।
- **महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर आयुष ग्राम के नोडल पदाधिकारी निम्न सहयोग पाप्त करेगें :–**
- शिविर में महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा विभाग की योजनाओं के संबंधित आई.ई.सी. करते हुए लोगों में जागरूकता लाना।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं शिविरों में उपस्थिति के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

6. गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर आयुष ग्राम के नोडल पदाधिकारी निम्न सहयोग प्राप्त करेगें :–

- आयुष ग्राम योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं शिविर में सहयोग प्रदान करना।
- आयुष ग्राम योजना का प्रचार–प्रसार करना तथा शिविरों में आने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित करना।

आयुष ग्राम योजना का क्रियान्वयन

आयुष ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन की दिशा में निम्नानुसार 5 मुख्य कार्य करवाये जायेगें :–

1. **प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एवं हर्बल औषधिय एवं परम्परागत चिकित्सकों तथा आयुष ग्राम प्रक्षेत्र में इस्तेमाल किये जाने वाले औषधिय पौधों एवं घरेलू उपचार का सर्वेक्षण एवं सूचना का संधारण।**
2. **जागरूकता रैली, छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन।**
3. **शिविर एवं प्रदर्शनी आयोजित करना**
4. **पंचकर्मा/योग सेन्टर/रेजिमेनल थेरेपी स्थापित करने हेतु नजदीकी आयुष संस्थानों के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्थान का चयन कर चिकित्सा संस्थान स्थापित करना।**
   i. पंचकर्मा/रेजिमेनल/योग केन्द्र के स्थान का चयन जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के देख–रेख में किया जायेगा।
   ii. संस्थान संचालन में कृत चिकित्सकीय कर्म का शुल्क का निर्धारण जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं संस्थान द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय कर्म किया जायेगा। इसकी विवरणी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
   iii. संस्थान को संचालन के लिए प्रथम बार में 57,000/– की आयुष औषधि आवश्यकतानुसार जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति किया जायेगा।

सतत् कार्यक्रम–निगरानी एवं मूल्यांकन

1. ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन :–

चयनित आयुष ग्राम के मुख्यालय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निधारित तिथि पर आयोजित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मे 4 मुख्य सत्र निम्नानुसार होंगेः–

क्र.सं.	सन्दर्भ व्यक्ति	प्रशिक्षण सत्र/ विषय–वस्तु
1	राज्य स्तरीय नामित पर्यवेक्षक	• आयुष ग्राम कार्ययाजना का परिचय

	अधिकारी	
2	आयुष विशेषज्ञ/ आयुष चिकित्सा पदाधिकारी	• आयुष जीवन शैली– आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार आदतें। • स्थानीय औषधीय पादपों की पहचान व उपयोग • सामान्य मौसमी व्याधियों की जानकारी, घरेलू उपचार एवं आहार–विहार के द्वारा रोगों की रोकथाम • वृद्धावस्था देखभाल, रक्ताल्पता • सामान्य योगासनों की जानकारी
3	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखण्ड सामुदयिक उत्प्रेरक/प्रखण्ड स्वास्थ्य समिति	• स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय – प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त देखभाल, शिशु देखभाल, स्तनपान, टीकाकरण, संचारी रोग।
4	स्थानीय अधिकारी, वन विभाग/ कृषि विभाग/शिक्षा विभाग/ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि	• स्थानीय औषधीय पौधों जड़ी–बूटियों का परिचय तथा कृषिकरण के उपाय तथा गृह उद्यानों के विकास की जानकारी, सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न वित्तीय सहायता की जानकारी देना।

जिला मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी :– कुल 20

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी	अनुमानित संख्या
1	विभागीय आयुष चिकित्साधिकारी संबंधित आयुष ग्राम क्षेत्र में कार्यरत (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी)	4
2	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रबंधन से सम्बन्धित कर्मी	2
3	स्थानीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक/ शिक्षक प्रतिनिधि	2
4	आशा सहयोगी	4
5	स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता/ए.एन.एम.	2
6	स्थानीय गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि	1
7	औषधी पादपों की खेती से जुड़े कृषक	3
8	वन विभाग/ कृषि विभाग/ मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड के प्रतिनिधि	2
	कुल प्रतिनिधि	20

आयुष ग्राम ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में निम्नानुसार अनुमानित व्यय होगा :–

अनुमानित व्यय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र०सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
1	किट	20@150	3,000
2	वर्किंग लंच / चाय नाश्ता	20@200	4,000
3	मानदेय संन्दर्भ व्यक्ति (01–राज्य स्तरीय@1000/- 03–जिला स्तरीय @500/-)	–	2,500
4	प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर एल.ई.डी. आदि व्यवस्था	–	10,000
5	स्थानीय परिवहन एवं परिधीय गॉवों हेतु परिवहन व्यय, अन्य व्यय–फोटोग्राफर, स्टेशनरी, फोटो स्टेट टाईपिंग, रिर्पोटिंग आदि स्थानीय व्यवस्था आदि	–	10,000
		कुल योग	**29,500**

2. शिविर एवं प्रदर्शनी आयोजन पर होने वाला संभावित व्यय :–

प्रत्येक आयुष ग्राम में रैली के दूसरे दिन स्वास्थ्य जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस शिविर में सभी विभागा द्वारा अपनी प्रदर्शनरी लगाई जायेगी एवं शिविर में आने वाले सभी लोगों को अपनी–अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। इस शिविर में स्वास्थ्य से संबंधित प्रदर्शनी, योग प्रदर्शनी, स्थानीय औषध पादपों की प्रदर्शनी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सही आहार–विहार तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों द्वारा तथा स्थानीय औषध पादपों द्वारा उपचार पर व्याख्यानों का आयोजन तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा औषधियों का वितरण किया जावेगा।

शिविर एवं प्रदर्शन में आयुष विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों का निम्नानुसार सहयोग होगाः–

क्र.सं.	विभाग	संबंधित कार्य
1	आयुष विभाग	शिविर की समस्त व्यवस्थाऐं / प्रदर्शनी / ओ.पी.डी. / आयुष विशेषज्ञ यथा आयुर्वेद, होम्यों, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक आदि।
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	विभाग में संचालित आमजन के लिये स्वास्थ्य योजनाओं की प्रदर्शनी तथा जानकारी उपलब्ध करवाना एवं प्राथमिक उपचार हेतु ओ0पी0डी0 तथा इमरजेन्सी सेवाऐं।
3	शिक्षा विभाग	सरकारी एवं गैर–सरकारी विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को शिविर में स्वास्थ्य प्रर्दशनी का अवलोकन तथा स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध करवाना।
4	कृषि विभाग	औषधीय पादपों के कृषिकरण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाना तथा प्रदर्शनी का आयोजन।
5	वन विभाग	औषधीय वनस्पतियों की प्रदर्शनी तथा वनस्पतियों की उपयोगार्थ जानकारी उपलब्ध करवाना। पौधे वितरित करवाना, स्थानी औषधालय तथा विद्यालय मे पौधारोपण करवाना।
6	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण संबधित प्रदर्शनी एवं जानकारी उपलब्ध करवाना।
7	एन.जी.ओ.	रैली आदि तथा शिविर आयोजन में सहयोग प्रदान करना।

2.1 एक दिवसीय शिविर में होने वाला अनुमानित व्यय–प्रत्येक ब्लॉक

क्रं० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
1.	शिविर हेतु आई.ई.सी. (फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि)		4500.00
2.	मानदेय	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@1000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 03–आयुष चिकित्सक @500/-)	3000.00
3.	मोबिलिटी सपोर्ट	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@6000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 02–आयुष चिकित्सक @1500/-)	7500.00
4.	वर्किंग लंच, चाय नाश्ता आदि	30@200x2	12000.00
5.	स्थानीय परिवहन व्यय, प्रचार–प्रसार, पम्पलेट वितरण, मॉनीटरिंग		14500.00
6.	अन्य व्यय फोटोग्राफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, टाईपिंग, रिर्पोटंग, माईक, टेन्ट, विद्युत, जल व्यवस्था, विडियों, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, स्थान का किराया , आकस्मिक व्यय आदि		28500.00
		कुल	70000.00
7.	औषध व्यवस्था		19000.00
		कुल व्यय	**89000.00**

इस प्रकार इस कार्य योजना में प्रति ब्लॉक कुल अनुमानित व्यय निम्नानुसार होगाः–

क्रं० सं०	(कम्पोनेन्ट) मद	मदवार राशि	प्रति प्रखण्डकुल उपलब्ध राशि
1.	प्रखण्ड में जनसंख्या का गणना	रू० 16,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 16,000/–
2.	जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना	रू० 20,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 20,000/–
3.	पंचकर्मा/रेजिमेन्स चिकित्सा/योग केन्द्र	रू० 2,50,000/– लाख प्रति ब्लॉक	रू० 2,50,000/–
4.	प्रशिक्षण	रू० 29,500/– प्रति ब्लॉक	रू० 29,500/–
5.	शिविर एवं प्रदर्शनी	रू० 89,000 /–प्रति ग्राम	रू० 89,000/–
6.	शिविर हेतु औषधि	रू० 57,000/– प्रति ग्ग्रम	रू० 57,000/–
7.	सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु मुख्यालय स्तर हेतु राशि	रू० 25,500/– प्रति ब्लॉक	रू० 25,500/–
8.	डेटा विश्लेषण (Data Analysis)	रू० 13,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 13,000/–
कुल राशि (प्रति ग्राम)			**रू० 5,00,000/–**

आयुष ग्राम कार्यक्रम में होने वाले कुल व्यय = 24 कार्यक्रम (07 जिला एवं 14 ब्लॉक) x रू० 5,00,000/-= रू० 1,20,00,000/-

औषधियों के क्रय हेतु निर्देश :–

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के तहत् औषधियों का क्रय निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची के अनुसार किया जाना आवश्यक होने के मध्येनजर औषधियों हेतु आवंटित बजट का उपयोग चयनित आयुष ग्राम एवं उसके परिधीय क्षेत्र वाले गॉवों में इस प्रकार किया जाना है।

प्रत्येक आयुष ग्राम व परिधीय क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम हेतु निर्धारित राशि रूपये 57,500 (आयुष औषधि एवं सर्जिकल सामग्री इत्यादि) संबंधित चिकित्साधिकारी प्रभारी के माध्यम से निर्धारित बजट प्रावधान राशि की सीमा में सभी चयनित आयुष ग्राम एवं परिधीय क्षेत्र वाले गॉवों में वितरित करने हेतु PSUs को औषधियों को कार्यादेश जारी किया जावेगा।

सतत् कार्यक्रम–निगरानी एवं मूल्यांकन :–

निम्नांकित बिन्दुओं पर उक्त कार्यक्रमों के बाद मासिक सूचना संबंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार को प्रेषित किया जायेगा।

A. गांव की मरीजों को इलाज एवं दवाईयों की उपलब्धता –
निगरानी सूचकांक –

- कितने लोग पंजीकृत हुये?
- औषधि का वितरण कितना हुआ?
- कितने रोगियों को उच्च इलाज के लिये भेजा गया?
- कितने शिविर आयोजित किये गये?

B. योग अभ्यास का प्रचलन –
निगरानी सूचकांक –

- औषधालय में योगाभ्यास हेतु कितने लोग आ रहे है?
- कितने स्कूलों में योग शिविर लगाये गये?
- कितने स्कूलों में दैनिक योगाभ्यास कराया जा रहा है?

C. आयुष पद्धति के बारे में वांछित जानकारी एवं सेवाओं का उपयोग –
निगरानी सूचकांक –

- औषधालय में पंचीयन के क्या परिणाम रहे?
- किन–किन गतिविधियों द्वारा आयुष पद्धतियों प्रचार–प्रसार कराया गया?

D. औषधीय पादपों की खेती के संबंध में –
निगरानी सूचकांक –

- कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया?
- कितने किसानों ने औषधीय पादपों की खेती प्रारम्भ की?
- कितने किसानों ने औषधीय को विक्रय किया?

E. घरेलू उपचार के संबंध में –
निगरानी सूचकांक –

- कितने समूहों को प्रशिक्षण दिया गया?
- कितने लोगों द्वारा घरेलू दवा बनायी जा रही है?

आयुष ग्राम योजना

(AYUSH Gram Yojna)

मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र

प्रस्तावित कार्यक्रम (कलैण्डर) प्रपत्र–I

तिथियों का निर्धारण संबंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बनाया जायेगा।

आयुष ग्राम का नाम.. सम्बन्धित ब्लॉक का नाम................................

सम्बन्धित जिला का नाम ....कार्ययोजना हेतु आयोजित प्रशिक्षण :–

2. **आयुष ग्राम एवं उसके परिधीय क्षेत्र वाले चयनित ग्रामों मे प्रशिक्षण, शिविर एवं प्रदर्शनी का तिथिवार कार्यक्रम :–**

क्र.सं.	आयुष ग्राम / ब्लॉक / जिले का नाम	प्रशिक्षण	शिविर एवं प्रदर्शनी
1	............/राजगीर/नालन्दा		
2	............/बिहार शरीफ/नालन्दा		
	......../इस्लामपुर/नालन्दा		
3	............/दानापुर/पटना		
4	..../मनेर/पटना		
5	......./बाढ़/पटना		
6	..../बख्तियारपुर/पटना		
7	..../पण्डौल/मधुबनी		
8	....../राजनगर/मधुबनी		
9	...../सुल्तानगंज/भागलपुर		
10	......../गोपालपुर/भागलपुर		
11	........./नरहट/नवादा		
12	...../गोविन्दपुर/नवादा		

मूल्यांकन रिपोर्ट निम्न निर्धारित प्रपत्रों में भेजवायी जायेगी :–

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

मूल्यांकन प्रपत्र–II

आयुष ग्राम .... दिनांक.............................

ग्राम का नाम ....तहसील..जिला...

क्र.सं.	गतिविधि	लाभार्थियों की संख्या			संबंधित अधिकारी जो उपस्थित रहे
		पुरूष	स्त्री	योग	
1.	शाला स्वास्थ्य परीक्षण				
2.	व्याख्यान				
3.	प्रदर्शनी				
	आयुष विभाग				
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग				
	कृषि विभाग				
	वन विभाग				
	उद्यान विभाग/ पादप बोर्ड				
	महिला एवं बाल विकास विभाग				
	गैर सरकारी संगठन/ स्वयं सहायता समूह				
4.	चिकित्सा शिविर				
	आयुर्वेद				
	होम्योपैथी				
	यूनानी				
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग				
	औषधीय पादप वितरण				
	फॉलोअप कैम्प				

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

मूल्यांकन रिपोर्ट जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को प्रेषित की जायेगी।

स्वास्थ्य सूचकांक स्थिति वर्ष .... प्रपत्र–III

ब्लॉक का नाम.. जिला का नाम..

क्र.सं.	स्वास्थ्य सूचकांक के विषय	वर्तमान स्थिति % में	लक्ष्य % में	विशेष वितरण
1	कल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.)			
2	मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)			
3	शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)			
4	कुपोषण दर			
5	संस्थागत प्रसव			
6	टीकाकरण			
7	रक्ताल्पता			

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

व्यय का विवरण–प्रपत्र–IV

आयुष ग्राम..तहसील..जिला...

आयुष ग्राम प्रति ब्लॉक हेतु समेकित अनुमानित/व्यय राशि :–

क्रं० सं०	(कम्पोनेन्ट) मद	मदवार राशि	प्रति प्रखण्डकुल उपलब्ध राशि	व्यय की गई राशि
1.	प्रखण्ड में जनसंख्या का गणना	रू० 16,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 16,000/–	
2.	जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना	रू० 20,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 20,000/–	
3.	पंचकर्मा/रेजिमेन्स चिकित्सा/योग केन्द्र	रू० 2,50,000/– लाख प्रति ब्लॉक	रू० 2,50,000/–	
4.	प्रशिक्षण	रू० 29,500/– प्रति ब्लॉक	रू० 29,500/–	
5.	शिविर एवं प्रदर्शनी	रू० 89,000 /–प्रति ग्राम	रू० 89,000/–	
6.	शिविर हेतु औषधि	रू० 57,000/– प्रति ग्प्रम	रू० 57,000/–	
7.	सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु मुख्यालय स्तर हेतु राशि	रू० 25,500/– प्रति ब्लॉक	रू० 25,500/–	
8.	डेटा विश्लेषण (Data Analysis)	रू० 13,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 13,000/–	
कुल राशि (प्रति ग्राम)			**रू० 5,00,000/–**	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

अनुमानित व्यय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–IV (ए)

क्र.सं.	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1	किट	20@150	3,000	
2	वर्किग लंच / चाय नाश्ता	20@200	4,000	
3	मानदेय सन्दर्भ व्यक्ति (01–राज्य स्तरीय@1000/- 03–जिला स्तरीय @500/-)	–	2,500	
4	प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर एल.ई.डी. आदि व्यवस्था	–	10,000	
5	स्थानीय परिवहन एवं परिधीय गॉवों हेतु परिवहन व्यय, अन्य व्यय–फोटोग्राफर, स्टेशनरी, फोटो स्टेट टाईपिंग, रिर्पोटिंग आदि स्थानीय व्यवस्था आदि	–	10,000	
		कुल योग	**29,500**	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

एक दिवसीय शिविर में होने वाला अनुमानित व्यय–प्रत्येक ब्लॉक–प्रपत्र IV (B)

क्र० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय (Rs.)
1.	शिविर हेतु आई.ई.सी. (फलेक्स, बैनर, पोस्टर आदि)		4500.00	
2.	मानदेय	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@1000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 03–आयुष चिकित्सक @500/-)	3000.00	
3.	मोबिलिटी सपोर्ट	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@6000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 02–आयुष चिकित्सक @1500/-)	7500.00	
4.	वर्किंग लंच, चाय नाश्ता आदि	30@200x2	12000.00	
5.	स्थानीय परिवहन व्यय, प्रचार–प्रसार, पम्पलेट वितरण, मॉनीटरिंग		14500.00	
6.	अन्य व्यय फोटोग्राफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, टाईपिंग, रिर्पोटंग, माईक, टेन्ट, विद्युत, जल व्यवस्था, विडियों, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, स्थान का किराया , आकस्मिक व्यय आदि		28500.00	
कुल			70000.00	
7.	औषध व्यवस्था		19000.00	
		कुल व्यय	**89000.00**	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

सतत् मूल्यांकन एवं निगरानी
मसिक सूचना (प्रपत्र–5)

क्र.सं.	योजनानुसार कार्य	गत माह की स्थिति		चालू माह की प्रगति		कमी / वृद्धि %
		औषधि वितरण	परामर्श	औषधि वितरण	परामर्श	
1	औषधालय में रोगी संख्या					
2	औषधालय से आयुर्वेद जीवन शैली की राय दिये गये व्यक्तियों की संख्या					
3	योगाभ्यास करने वाले व्यक्तियों की संख्या					
4	स्थानीय जड़ी बूटियों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या					
5	औषधीय पादपों की संरक्षण एवं खेती से जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या					
6	संचारी रोगों के उपचारित					
	व्यक्तियों की संख्या					
	टी.बी.					
	मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया					
	डायरिया					
	मधुमेह					
	हृदय रोग					
	मोटापा					
	अन्य					
7	राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु					
	प्रोत्साहन					
	टीकाकरण					
	रक्ताल्पता जरावस्था उपचार					

पंचकर्मा/रेजिमेनटल/योग केन्द्र, मूल्यांकन रिपोर्ट

<u>मूल्यांकन प्रपत्र–6</u>

आयुष ग्राम .... दिनांक...

ग्राम का नाम ....तहसील..जिला...
...

क्र. सं.	तिथि/गति विधि	लाभार्थियों की संख्या					संबंधित अधिकारी जो उपस्थित रहे
		पुरूष	स्त्री	योग	चिकित्सकीय कर्म का नाम	आपूर्ति की गयी औषधि का नाम एवं मात्रा	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

मूल्यांकन रिपोर्ट जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को प्रेषित की जायेगी।

<u>पंचकर्मा केन्द्र स्थापित करने हेतु आवश्यक औषधि, मशीन एवं सामग्री</u>

प्रपत्र–7

Equipment Kit:

Assets Name	Quantity/ Patient/ Day	Rate	Total Amount/ Patient/ Day	Per Patient Cost
Enema Can	1	250	250	200/- per Patient Under supervision of AYUSH Doctor
50/20 ml Syringe	1	130/10	130/10	
Rubber Catheter	1	10	10	

Medicines

Medicine Name	Quantity	Rate	Total Amount	
Mahanarayan Tail	100ml	150/-	150/- per Patient/ Day	250/- per Patient / Day
Vishgarbh Tail				
Saindhwadi Tail				
Errand Tail etc.				
Dashmool Kwath			20/- per Patient/ Day	
Panchakol Phant				
Raw Herbs				
Nirgundi Patra			80/- per patient/ Day	
DHatura Patra				
Ark Patra				
Erand Patra etc.				
Sitopaladi Churna	1 kg			
Hingwastak Churna	1 Kg			
Punarnawadi Mandoor	500 gm			
Jatyadi Taila	500 ml			
Panchakol Phant				
Dashmool Kwath				

Suggested list of required furniture, other fittings and sundry articles in

Name of Assests	Quantity	Rate	Total Amt	
Massage Table	1	50000/-	50000/-	
Steam Box Wooden	1	25000/-	25000/-	
Auto-Clave	1	10000/-	10000/-	
Mixer	1	5000/-	5000/-	
Gas-Stove & Utensils	1	5000/-	5000/-	
Pipes, Tray, Apron		5000/-	5000/-	
Furniture				
Chair	4		50000/-	
Almirah	1			
Table	2	50000/-		
Bench	1			Total Rs 150000/- per centre
Heater	1			
Side Wooden racks	2			
Fans	3			
Tube ligh	3			
Basin stand	1			
Sundry Articles:				
Buckets	2			
Mugs	2			
Sauce pan with lid	1			
Water receptacle	1			
Rubber/plastic sheet	2 meters			
Drum with tap for storing water	1			

रेजीमेनल थेरेपी केन्द्र स्थापित करने हेतु आवश्यक औषधि, मशीन एवं सामग्री

प्रपत्र–8

Diseases: Common disease that may be consulted

1. **Musculoskeletal:** Arthritis, Neck pain, Back pain, Plantar fasciitis
2. **Skin diseases:** Fungal Infections-Ring worm, Vitiligo, Pimples/Acne, Psoriasis
3. **Respiratory:** common cold, flue,
4. **Gastro Intestinal**: constipation, diabetes, Flatulence/Gas, Indigestion, Piles, Fissure
5. **Obesity/overweight**
6. **Hypertension**

Regimenal Procedures

1. **Cupping:**
2. **Massage:**manual & machine
3. **Vapour Bath:**wooden set
4. **Inhalation:**instrument/machine
5. **Sitz bath set:** bath sets

Instruments/furniture required

1. Doctors table & Chair
2. Cupping table/chairs and instruments
3. Bench/chairs for patients
4. Massage table & Oils
5. Vapour bath set
6. Inhalation sets
7. Sitz bath tub
8. Basic Drugs – single & compound

Pamphlets

1. Home remedies
2. Advisory for seasonal ailments & inevitable disease/ epidemic
3. Medicinal importance of household spices & Herbs
4. Dietary advice : type, timing and quality of intake of eatables
5. Information regarding higher centres

Audio Visual Display

1. General health
2. Preventive aspect & Mode of prevention
3. Government programs
4. AYUSH Wellness centre
5. Videos of different Regimenal procedures
6. Messages from CM, Health Ministers, Secretaries & professionals

STAKE HOLDERS/PARTICIPANTS

1. Private AYUSH doctors
2. Private firms
3. Doctors under NRHM
4. Doctors under RBSK
5. MO, Unani

NATURE OF SETUP

1. At PHCs/CHCs/District Hospitals
2. If in partnerships with private sectors
    - Fully/50-90% support
    - Body/Rooms/Building by private partners
    - Instruments & Furniture by Govt.
    - Doctors & technical staff by private firms
    - Data recorded shall be of govt property
    - Monthly data procurement
    - Performa shall be provided by Govt
    - Universal data
    - Prescription pad shall mention govt name
    - Daily update to the control centre at Patna- WhatsApp group or app
    - Every centre shall have their Facebook page/twitter handle/instagram ID
    - Doctors & staff details will have to provide
    - Pamphlets/leaflets shall be provided from the government

TRAINING & EVALUATION

1. Training of doctors & technical at Patna, Govt Tibbi College & Hospital
2. CMEs at every third months
3. Evaluation of data every month
4. TA/DAs shall be paid from govt.
5. Feedback shall always be welcomed

Suggested list of required furniture, other fittings and sundry articles in

Name of Assests	Quantity	Rate	Total Amt	
Massage Table	1	50000/-	50000/-	Total Rs 150000/- per centre
Steam Box Wooden	1	25000/-	25000/-	
Hijamah Chair	1	5000/-	5000/-	
Induction heater / Gas-Stove & Utensils	1	5000/-	5000/-	
Cupping Set & Loose Cups & Pumps	As per required	10000/-	10000/-	
Pipes, Tray, Apron	as per required	5000/-	5000/-	
Furniture				
Chair	4	50000/-	50000/-	
Almirah	1			
Table	2			
Bench	1			
Heater	1			
Side Wooden racks	2			
Fans	3			
Tube light	3			
Basin stand	1			
Sundry Articles:				
Buckets	2			
Mugs	2			
Sauce pan with lid	1			
Water receptacle	1			
Rubber/plastic sheet	2 meters			
Drum with tap for storing water	1			

The above list may be modified based on the local requirements.

Suggested list of Recurring Assets

Assets Name	Quantity/ Patient/ Day	Rate	Total Amount/ Patient/ Day	Per Patient Cost
Hijamah Pump	1	250	250	200/- per Patient Under supervision of AYUSH Doctor
03/08 ml Syringe	1	130/10	130/10	
Glove, Gauze, Betadine	1	10	10	

Consumable Medicines

Medicine Name	Quantity	Rate	Total Amount	
Roghan Baboona	100ml/gm	150/-	150/- per Patient/ Day	250/- per Patient / Day
Itrifal Ustukhudus				
Roghan Kahu				
Roghan Banafashan				
Qairooti Muhallil			20/- per Patient/ Day	
Zaroor Kath				
Raw Herbs				
Neem leaves			80/- per patient/ Day	
Aaak Leaves				
Ustukhuddus				
Senna Leaves				

Suggested list of drugs

S. No.	Name of the Item / drug	Quantity
1.	Iitrifal ustukhudus	As per requirement
2.	Itrifal sanai	
3.	Itrifal Shahitra	
4.	Majoon dabedulward	
5.	Majoon Siris/Saras	
6.	Majoon Ushba	
7.	Majoon chobchini	
8.	Majoon arad khurma	
9.	Jawarish Jalinoos	
10.	Jawarish Zanjabeel	
11.	khamira abresham	
12.	khamira Ghauzaban	
13.	khamira Marwareed	
14.	Tab Diabeat	
15.	Safoof Zeyabatees	
16.	Sharbat Sadar	
17.	sharbat Unnab	
18.	Sharbat Toot Siyah	
19.	Shabzam/arq Ajeeb/Kulzam	
20.	Sharbat Bel giri	
21.	Sharbat Bazoori Motadil	
22.	Arq Kasni	
23.	Zaroor Kath	
24.	Cap. Jigreen /SafooF dabedulward	
25.	hab. Humma	
26.	Hab Papita	
27.	Hab. kabid Naushadri	
28.	Hab. Hilteet	
29.	Hab. Zaiqunnafas	
30.	Hb. Suranjan	
31.	Dawaushifa	
32.	Hab. Asgand	
33.	Roghan Malkanghni	
34.	Tiryak Nazla	
35.	Tiryak Arbah	

Single Drugs /Advia Mufrada

S.No.	Drugs Name	Amount
1.	Amla (Phyllanthus emblica)	As per requirement
2.	Asgand (Withania somnifera)	
3.	Belgiri (Agel marmelos)	
4.	Ustukhudus (	
5.	Barhami Booti (Bacopa monnieri)	
6.	Tamar Hindi (Terminalia chebula)	
7.	Gilo (Tinospora cardifolia)	
8.	kutki (Picrorrhiza kurrora)	
9.	Neem (Azadirachata indica)	
10.	Satawar (Asparagus racemosa)	
11.	Adrak/Sonth (Zingiber officinalis)	
12.	Adusa (Adhatoda Vasaka)	
13.	Mulethi (Glycyrhiza glabra)	
14.	Bala (Sida cardifolia)	

<u>औषधियों की सूची</u>

प्रपत्र–9

Poly Herbal Formulations Medicines

1. Abhayaristha
2. Ajamodadi Churna
3. Amalaki Rasayana
4. Amritaristha
5. Anu Taila
6. Aravindasava
7. Ashokaristha
8. Avipattikara Churna
9. Bala Taila
10. Bilvadi Leha
11. Dashamularistha
12. Dashana Sanskara Churna
13. Drakshavaleha
14. Gokshuradi Guggulu
15. Jatyadi Taila
16. Kaishora Guggulu
17. Kanakasava
18. Kantakari Avaleha
19. Khadiraristha
20. Kumaryasava
21. Kutajavaleha
22. Lodhrasava
23. Nalpamaradi Taila
24. Narayana Taila
25. Rajapravrittini Vati
26. Sanjivani Vati
27. Saubhagya Shunthi Paka
28. Sitopaladi churna
29. Trikatu
30. Trinpanchamula Kvatha
31. Triphala Churna
32. Triphala Guggulu
33. Varunadi Kashaya
34. Vasavaleha
35. Yogaraja Guggulu

Singal Plant (Powder)

1. Amalaki (Phyllanthus emblica)1,2,3
2. Asvagandha (Withania somnifera)4,5
3. Bala (Sida cordifolia)6,7,8,9
4. Bhumyamalaki (Phyllanths niruri) 10,11
5. Bilva (Aegle marmelos)12,13
6. Brahmi (Bacopa monnieri) 14,15
7. Gokshura (Tribulus terrestris)16
8. Guduchi (Tinospora cordifolia) 17,18,19
9. Kalamegha (Andrographis paniculata) 20,21
10. Katuki (Picrorrhiza kurroa) 22
11. Nimba (Azadirachta indica) 23
12. Shatavari (Asparagus racemosus) 24
13. Shunthi (Zingiber officinale) 25
14. Yastimadhu (Glycyrhiza glabra) 26

Plants for garden

1. Amalaki (Phyllanthus emblica) 1,2,3
2. Ashvagandha (Withania samnifera) 4,5
3. Bala (Sida cordifolia) 6,7,8,9
4. Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri) 10,11
5. Bilva (Aegle marmelos) 12,13
6. Brahmi (Bacopa monnieri) 14,15
7. Gokshura (Tribulus terrestris) 16
8. Guduchi (Tinospora cordifolia) 17,18,19
9. Haridra (Curcuma longa) 27
10. Kumari (Aloe vera) 28,29,30
11. Manduka parni (Centella asiatica) 31
12. Nimba (Azadirachia indica) 23
13. Shatavari (Asparagus racemosus) 24
14. Shunthi (Zingiber officinale) 25
15. Tulsi (Ocimum sanctum) 32

आयुष ग्राम (AYUSH Gram)
प्रपत्र–10 ए
ब्लॉक स्तरीय जनसंख्या की गणना

जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम.................................

जिला की कुल जनसंख्या–.. ब्लॉक की कुल जनसंख्या–..................................

दिनांक.....................

1.	**Number of Villages**			
2.	**Number of Towns**			
3.	**Number of Households**			
4.	**Population**	**Males**	**Females**	**Persons**
	Rural			
	Urban			
	Total			

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

आयुष ग्राम (AYUSH Gram)
प्रपत्र–10 बी

जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना

नाम –.. पिता का नाम.–...
उम्र... लिंग.................................. वैवाहिक स्थिति...
पता–..
....
जिला का नाम – ....ब्लॉक का नाम..................................
मोबाईल नं०–.................................. नजदिकी आयुष औषधालय का नाम–..
नजदिकी स्वास्थ्य संस्थान का नाम–..
दिनांक.....................

Sl. No.	Disease Name	Yes (√)
संचारी रोग (Communicable Disease)		
1.	Hepatitis B – C	
2.	Malaria	
3.	Dengue	
4.	Tuberculosis	
5.	HIV	
6.	COVID.19	
7.	Chikungunya Virus	
8.	Influenza	
9.	Cholera	
10.	Encephalitis	
11.	Others (Disease Name)	
गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease)		
1.	Diabetes	
2.	Blood Pressure	
3.	Thyroid	
4.	Carcinoma	
5.	Filariasis	
6.	Anemia	
7.	Mental Stress	
8.	Others (Disease Name)	

गणना करने वाले आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –...
....

हस्ताक्षर
दिनांक.....................

आयुष ग्राम (AYUSH Gram)
प्रपत्र–10 सी

ब्लॉक स्तरीय जनसंख्या की गणना

जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम.................................

जिला की कुल जनसंख्या–... ब्लॉक की कुल जनसंख्या–..................................

दिनांक.....................

1.	**Number of Villages**			
2.	**Number of Towns**			
	Number of Households			
3.	**Population**	**Males**	**Males**	**Persons**
	Rural			
	Urban			
	Total			

Sl. No.	**Disease Name**	**Total No. of Patent**	**Total No. of Patent Refered in nerest FRU**
	संचारी रोग (Communicable Disease)		
1.	Hepatitis B – C		
2.	Malaria		
3.	Dengue		
4.	Tuberculosis		
5.	HIV		
6.	COVID.19		
7.	Chikungunya Virus		
8.	Influenza		
9.	Cholera		
10.	Encephalitis		
11.	Others (Disease Name)		
	गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease)		
1.	Diabetes		
2.	Blood Pressure		
3.	Thyroid		
4.	Carcinoma		
5.	Filariasis		
6.	Anemia		
7.	Mental Stress		
8.	Others (Disease Name)		

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

(School Health Programme)

आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम(School Health Programme)

आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा की सुगमतापूर्वक स्कूलीं छात्रों को उपलब्ध कराना। उसके माध्यम से संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में बड़ी मदद मिल सकती है। आयुष चि०पद्वति के माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योग और परामर्श सहित आयुष चि० सेवा के माध्यम से स्कूली बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करना है।

1. उद्देश्य

क. आयुष चिकित्सा आधारित पद्धति से द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन।

ख. प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन रोग की कुपोषण, एनिमिया, वाल्यवस्था के रोग एवं स्वास्थ्य जटिलताओं की पहचान एवं निदान शिक्षा।

ग. किशोरावस्था का समुचित प्रबंधन लक्षित समूह प्रथम वर्ग से 12 वीं तक के पाये जाने वाले सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय।

घ. स्वच्छता के माध्यम स रोग नियंत्रण।

2.कार्यनोति

क. घरेलू उपचारों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ओषधीय पादपों तथा गृह उदयानं में औषधीय पादपों की जानकारी देना।

ख. योग को अभ्यास में लाना।

ग. स्वास्थ्य जांच–बालकों की कुछ सामान्य समस्याओं यथा दृश्य और श्रव्य समस्याओं की पहचान शारीरिक विकलांगता, त्वचा की समस्याएं और सोखने की असमर्थता इत्यादि का पता लगाना और प्रबंधन।

घ. विकास और प्रसार।

ड. स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्थानीय उपचार क्रिया के साथ गंभीरता की स्थिति म रेफरल संयोजन उपचारात्मक और निवारक उपाय के लिए आयुष मेडिकल कॉलेजों अथवा आयुष अस्पतालो के साथ रेफरल सुविधा के लिए भेजा जा सकता है। आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नोडल चिकित्स्क का चयन जिला देशी–चि० पदा० के द्वारा किया जायेगा।

च. प्रशिक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रपत्र–I एवंIIतथा व्यय रिपोर्ट प्रपत्र–III पति माह राज्य आयुष समिति, बिहार को जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा भरकर भेजी जाएगी।

छ.I. वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत कार्यान्वयन की ईकाई का आकार 01 ब्लॉक (10,000 स्कूली बच्चों को कवर करना है) प्रति जिला होगें:–

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक
1.	जहानाबाद	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित
2.	सारण	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित

II. वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत कार्यान्वयन की ईकाई का आकार 01 ब्लॉक (10,000 स्कूली बच्चों को कवर करना है) प्रति जिला होगें:–

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक
1.	पटना	बाढ़

3. वित्तीय

(क). वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत राशि

आयुष विद्या के माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों हेतु चयनित जिलों के एक प्रखण्ड ब्लॉकों की प्रत्येक ईकाई को 1 लाख रुपये को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः–

कुल राशि ''रू० 1 लाख प्रति ब्लॉक X 2 ब्लॉक = रू० 2 लाख''

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक	राशि	कुल राशि
1.	जहानाबाद	ब्लॉक–1	रू० 1,00,000 / –	रू० 2,00,000 / –
2.	सारण	ब्लॉक–1	रू० 1,00,000 / –	

चयनित प्रखंडो हेतु मदवार आवंटित राशि

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम वार होने वाले व्यय	कुल राशि
1	स्वास्थ्य परिक्षण एवं उपकरण किट	रू० 30,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 30,000 / –
2	संचार (प्रर्दशन बोर्ड, रजिस्टर दिन प्रतिदिन गतिविधियों को संग्रह करने हेतु स्वास्थ्य जागरूकता सामग्री)	रू० 15,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 15,000 / –
3	मोबिलिटी सपोर्ट	रू० 10,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 10,000 / –
4	आयुष औषधि	रू० 40,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 40,000 / –
5	कार्यालय व्यय	रू० 5,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 5,000 / –
कुल राशि प्रति जिला			**रू० 1,00,000 / –**

(ख). वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत राशि

आयुष विद्या के माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों हेतु चयनित जिलों के एक प्रखण्ड ब्लॉकों की प्रत्येक ईकाई को 1 लाख रुपये को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः–

कुल राशि ''रू० 1 लाख प्रति ब्लॉक X 2 ब्लॉक = रू० 2 लाख''

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक	राशि	कुल राशि
1.	पटना	बाढ़	रू० 1,00,000 / –	रू० 1,00,000 / –

चयनित प्रखंडो हेतु मदवार आवंटित राशि

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम वार होने वाले व्यय	कुल राशि
1	स्वास्थ्य परिक्षण एवं उपकरण किट	रू० 30,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 30,000 / –
2	संचार (प्रर्दशन बोर्ड, रजिस्टर दिन प्रतिदिन गतिविधियों को संग्रह करने हेतु स्वास्थ्य जागरूकता सामग्री)	रू० 15,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 15,000 / –
3	मोबिलिटी सपोर्ट	रू० 10,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 10,000 / –
4	आयुष औषधि	रू० 40,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 40,000 / –
5	कार्यालय व्यय	रू० 5,000 / – प्रति ब्लॉक	रू० 5,000 / –
कुल राशि प्रति जिला			**रू० 1,00,000 / –**

स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में होने वाले कुल व्यय = 03 कार्यक्रम (03जिला एवं 03 ब्लॉक) x रू० 1,00,000/-= रू० 3,00,000/-

आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

(School Health Programme)

मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र

आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme)
मूल्यांकन प्रपत्र–I
स्वास्थ्य जाँच टीम

Health Screening Visit Register - Child Health Screening & Early Intervention Services															
State								Name of School-							
District								Address & contact details of institution visited-							
Block								Date of observation/ Visit							
Sr. No.	Name of child	Sex	Age (DOB, if available)	ID no.	Name of Mother/ Father	Contact number of parent	Weight (Kg)	Height (cm)	Defects at Birth	Deficiencies	Diseases	Develop- mental delay including disability	Referred (Y/N)	Place of Referral (FRU, CHC, DH, SDH, NRC, DEIC)	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme)
मूल्यांकन प्रपत्र–II
मासिक रिपोर्टिंग

DEIC Register - Child Health Screening & Early Intervention Services									
State -							District -		
S. no.	Date	Name of child	Sex	Age (DOB, if available)	Name of Mother (Contact number)	Cause of referral	Referred from (1. FRU 2. CHC 3. DH 4. SDH 5. SNCU 6. Block Mobile Health Team 7. ASHA)	Final Diagnosis	1. Referred to (mention name of institution) 2. Medical treatment 3. Surgical treatment

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

आयुष आधारित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme)
व्यय पत्रक–III

ब्लॉक.. तहसील.............................. जिला....................................

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम वार होने वाले व्यय	कुल राशि	वास्तविक व्यय (Rs.)
1	स्वास्थ्य परिक्षण एवं उपकरण किट	रू० 30,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 30,000/–	
2	संचार (प्रर्दशन बोर्ड, रजिस्टर दिन प्रतिदिन गतिविधियों को संग्रह करने हेतु स्वास्थ्य जागरूकता सामग्री)	रू० 15,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 15,000/–	
3	मोबिलिटी सपोर्ट	रू० 10,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 10,000/–	
4	आयुष औषधि	रू० 40,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 40,000/–	
5	कार्यालय व्यय	रू० 5,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 5,000/–	
कुल राशि प्रति जिला			**रू० 1,00,000/–**	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

(AYUSH Wellness Centre through Yoga & Naturopathy)

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (AYUSH Wellness Centre through Yoga & Naturopathy)

आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा बिहार राज्य के चार चयनित जिलों में स्थापित करना है।

आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020–21 में 108 (45 आयुष औषधालय एवं 63 स्वास्थ्य उपकेन्द्र HSC) AYUSH Health & Wellness Centre स्थापित करने के लिए कहा गया था जो कि प्रस्ताव अनुमोदन करने हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी है। अनुमोदन उपरान्त AYUSH Health & Wellness Centre स्वास्थ्य उपकेन्द एवं आयुष औषधालयो में स्थापित करने हेतु निर्देश राज्य स्तर से दिया जायेगा।

उद्देश्य

क) निर्धारित समयावधि के दौरान चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र में संचारी, रोग (Communicable Disease) जैसे की Hepatitis B & C, मलेरिया, डेंगु, Tuberculosis, HIV, COVID-19 (कोरोना वायरस), चिकनगूनिया वायरस, Influenza, Cholera, Encephalitis या अन्य एवं गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease) जैसे कि Diabetes, , Carcinoma, Filariasis, Anemia, Mental Stress Blood Presure, Thyroid या अन्य या दोना तरह के मामलों में रोग अधिभार की समस्या का आयुष विधि से रोकथाम एवं उपचार करना।

ख) आयुष चिकित्सा पद्वति से अवगत कराते हुये दिनचर्या एवं जीवन शैली में बदलाव लाना है।

ग) कार्यक्रम के चयनित प्रक्षेत्रो में औषधीय पौधों की पहचान कर उससे जुड़े औषधीय गुणों को आम जन को अवगत कराना।

घ) कार्यक्रम के चयनित प्रक्षेत्रो में पाये जाने वाले औषधिय पौधों से ईलाज सम्बन्धित जानकारी देना।

ड.) संचारी रोगों जैसे की – मलेरीया, टी.बी., एवं चिकनगुनिया इत्यादि का ईलाज आयुष चिकित्सा पद्धति से करने हेतु जानकारी देना।

1. कार्यनीति

2.1 वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत राशि के कार्यान्वयन की ईकाई का आकार 01 ब्लॉक प्रति जिला होगें:–

क्र० सं०	निर्धारित जिले	ब्लॉक
1.	गया	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एक प्रखण्ड का चयन कर अनुशंसित किया जायेगा।
2.	नालन्दा	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एक प्रखण्ड का चयन कर अनुशंसित किया जायेगा।
3.	मुजफ्फरपुर	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एक प्रखण्ड का चयन कर अनुशंसित किया जायेगा।
4.	पटना	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एक प्रखण्ड का चयन कर अनुशंसित किया जायेगा।

3. वित्तीय

इस प्रकार इस कार्य योजना में प्रति ब्लॉक कुल अनुमानित व्यय निम्नानुसार होगाः–

क्रं० सं०	(कम्पोनेन्ट) मद	मदवार राशि	प्रति प्रखण्डकुल उपलब्ध राशि
1.	**Non-Recurring - पंचकर्मा/रेजिमेन्स चिकित्सा/योग केन्द्र (आधारभूत संरचना, मशीन एवं उपकरण)**	**रू०60,000 /– प्रति ब्लॉक**	**रू०60,000/–**
2.	**Recurring - मैनपावर, रख–रखाव एवं इत्यादि**	**रू० 5,40,000 /– प्रति ब्लॉक**	**रू० 5,40,000/–**
2.1	प्रखण्ड में जनसंख्या की गणना	रू० 16,000 /– प्रति ब्लॉक	रू० 16,000/–
2.2	जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना	रू० 20,000 /– प्रति ब्लॉक	रू० 20,000/–
2.3	आयुष चिकित्सक/योग प्रशिक्षक	रू० 15,000x1x12 माह	रू० 1,80,000/–
2.4	प्रशिक्षण	रू० 29,500/– प्रति ब्लॉक	रू० 29,500/–
2.5	शिविर एवं प्रदर्शनी	रू० 89,000 /–प्रति ग्राम	रू० 89,000/–
2.6	शिविर हेतु औषधि	रू० 91,500/– प्रति ग्प्राम	रू० 91,500/–
2.7	सूचना, शिक्षा एवं संचार सामाग्री ब्लॉकस्तर	रू० 11,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 11,000/–
2.8	सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु राज्य मुख्यालय स्तर हेतु राशि	रू० 40,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 40,000/–
2.9	अन्य आवश्यक आपूर्तियाँ	रू० 50,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 50,000/–
2.10	डाटा विश्लेषण (Data Analysis)	रू० 13,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 13,000/–
कुल राशि (प्रति ग्राम)			**रू० 5,40,000/–**
प्रति कार्यक्रम होने वाले कुल व्यय (रू०60,000+ 5,40,000)			**रू० 6,00,000/–**

3.1 Non-Recurring - पंचकर्मा/रेजिमेन्स चिकित्सा/योग केन्द्र (आधारभूत संरचना, मशीन एवं उपकरण)

3.2 पंचकर्मा/योग सेन्टर/रेजिमेनल थेरेपी स्थापित करने हेतु नजदीकी आयुष संस्थानों के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्थान का चयन कर चिकित्सा संस्थान स्थापित करना।

i. पंचकर्मा/रेजिमेनल/योग केन्द्र के स्थान का चयन जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के देख–रेख में किया जायेगा।

ii. संस्थान संचालन में कृत चिकित्सकीय कर्म का शुल्क का निर्धारण जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं संस्थान द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय कर्म किया जायेगा। इसकी विवरणी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

iii. संस्थान को संचालन के लिए प्रथम बार में 57,000/– की आयुष औषधि आवश्यकतानुसार जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति किया जायेगा।

4. Recurring - मैनपावर, रख–रखाव एवं इत्यादि हेतु विवरणी

4.1 आयुष चिकित्सक/योग प्रशिक्षक–कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु एक इच्छुक आयुष चिकित्सक/योग प्रशिक्षक को जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यक्रम में सहयोग हेतु रखा जाना है। चयनित आयुष चिकित्सक/योग प्रशिक्षक को प्रतिमाह 15,000/– देय होगा।

4.2 ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन :–

चयनित आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्साके मुख्यालय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निधारित तिथि पर आयोजित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मे 4 मुख्य सत्र निम्नानुसार होंगेः–

क्र.सं.	सन्दर्भ व्यक्ति	प्रशिक्षण सत्र/ विषय–वस्तु
1	राज्य स्तरीय नामित पर्यवेक्षक अधिकारी	• आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्साकार्ययोजना का परिचय
2	आयुष विशेषज्ञ/ आयुष चिकित्सा पदाधिकारी	• आयुष जीवन शैली– आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार आदतें। • स्थानीय औषधीय पादपों की पहचान व उपयोग • सामान्य मौसमी व्याधियों की जानकारी, घरेलू उपचार एवं आहार–विहार के द्वारा रोगों की रोकथाम • वृद्धावस्था देखभाल, रक्ताल्पता • सामान्य योगासनों की जानकारी
3	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखण्ड सामुदयिक उत्प्रेरक/प्रखण्ड स्वास्थ्य समिति	• स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय – प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त देखभाल, शिशु देखभाल, स्तनपान, टीकाकरण, संचारी रोग।
4	स्थानीय अधिकारी, वन विभाग/ कृषि विभाग/शिक्षा विभाग/ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि	• स्थानीय औषधीय पौधों जड़ी–बूटियों का परिचय तथा कृषिकरण के उपाय तथा गृह उद्यानों के विकास की जानकारी, सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न वित्तीय सहायता की जानकारी देना।

जिला मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी :– कुल 20

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी	अनुमानित संख्या
1	विभागीय आयुष चिकित्साधिकारी संबंधित आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्साक्षेत्र में कार्यरत (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी)	4
2	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रबंधन से सम्बन्धित कर्मी	2
3	स्थानीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक / शिक्षक प्रतिनिधि	2
4	आशा सहयोगी	4
5	स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता / ए.एन.एम.	2
6	स्थानीय गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि	1
7	औषधी पादपों की खेती से जुड़े कृषक	3
8	वन विभाग / कृषि विभाग / मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड के प्रतिनिधि	2
	कुल प्रतिनिधि	20

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रखण्डस्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में निम्नानुसार अनुमानित व्यय होगा :–

अनुमानित व्यय प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र०सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
1	किट	20@150	3,000
2	वर्किंग लंच / चाय नाश्ता	20@200	4,000
3	मानदेय संन्दर्भ व्यक्ति (01–राज्य स्तरीय@1000/- 03–जिला स्तरीय @500/-)	–	2,500
4	प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर एल.ई.डी. आदि व्यवस्था	–	10,000
5	स्थानीय परिवहन एवं परिधीय गॉवों हेतु परिवहन व्यय, अन्य व्यय–फोटोग्राफर, स्टेशनरी, फोटो स्टेट टाईपिंग, रिर्पोटिंग आदि स्थानीय व्यवस्था आदि	–	10,000
		कुल योग	**29,500**

4.3 शिविर एवं प्रदर्शनी आयोजन पर होने वाला संभावित व्यय :–

प्रत्येक आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सामें रैली के दूसरे दिन स्वास्थ्य जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस शिविर में सभी विभागा द्वारा अपनी प्रदर्शनो लगाई जायेगी एवं शिविर में आने वाले सभी लोगों को अपनी–अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। इस शिविर में स्वास्थ्य से संबंधित प्रदर्शनी, योग प्रदर्शनी, स्थानीय औषध पादपों की प्रदर्शनी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सही आहार–विहार तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों द्वारा तथा स्थानीय औषध पादपों द्वारा उपचार पर व्याख्यानों का आयोजन तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा औषधियों का वितरण किया जायगा।

शिविर एवं प्रदर्शन में आयुष विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों का निम्नानुसार सहयोग होगाः–

क्र.सं.	विभाग	संबंधित कार्य
1	आयुष विभाग	शिविर की समस्त व्यवस्थाऐं/ प्रदर्शनी/ ओ.पी.डी./ आयुष विशेषज्ञ यथा आयुर्वेद, होम्यों, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक आदि।
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	विभाग में संचालित आमजन के लिये स्वास्थ्य योजनाओं की प्रदर्शनी तथा जानकारी उपलब्ध करवाना एवं प्राथमिक उपचार हेतु ओ0पी0डी0 तथा इमरजेन्सी सेवाऐं।
3	शिक्षा विभाग	सरकारी एवं गैर–सरकारी विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को शिविर में स्वास्थ्य प्रर्दशनी का अवलोकन तथा स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध करवाना।
4	कृषि विभाग	औषधीय पादपों के कृषिकरण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाना तथा प्रदर्शनी का आयोजन।
5	वन विभाग	औषधीय वनस्पतियों की प्रदर्शनी तथा वनस्पतियों की उपयोगार्थ जानकारी उपलब्ध करवाना। पौधे वितरित करवाना, स्थानी औषधालय तथा विद्यालय मे पौधारोपण करवाना।
6	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण संबधित प्रदर्शनी एवं जानकारी उपलब्ध करवाना।
7	एन.जी.ओ.	रैली आदि तथा शिविर आयोजन में सहयोग प्रदान करना।

एक दिवसीय शिविर में होने वाला अनुमानित व्यय–प्रत्येक प्रखण्ड

क्र0 सं0	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय
1.	शिविर हेतु आई.ई.सी. (फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि)		4500.00
2.	मानदेय	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@1000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 03–आयुष चिकित्सक @500/-)	3000.00
3.	मोबिलिटी सपोर्ट	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@6000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 02–आयुष चिकित्सक @1500/-)	7500.00
4.	वर्किंग लंच, चाय नाश्ता आदि	30@200x2	12000.00
5.	स्थानीय परिवहन व्यय, प्रचार–प्रसार, पम्पलेट वितरण, मॉनीटरिंग		14500.00
6.	अन्य व्यय फोटोग्राफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, टाईपिंग, रिर्पोटंग, माईक, टेन्ट, विद्युत, जल व्यवस्था, विडियों, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, स्थान का किराया , आकस्मिक व्यय आदि		28500.00
		कुल	70000.00
7.	औषध व्यवस्था		19000.00
		कुल व्यय	**89000.00**

5. आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर (AYUSH Health & Wellness Centre) हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जो कि इस दिशा–निर्देश के साथ संलग्न है एवं आयुष मंत्रलय, भारत सरकार के द्वारा AYUSH Health & Wellness Centre राज्य में स्थापित करने संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश इसके साथ संलग्न है।

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

(AYUSH Wellness Centre through Yoga & Naturopathy)

मोनेटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

व्यय पत्रक–I

जिला...

ब्लॉक...

तहसील...

क्रं० सं०	(कम्पोनेन्ट) मद	मदवार राशि	प्रति प्रखण्डकुल उपलब्ध राशि	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1.	**Non-Recurring - पंचकर्मा/रेजिमेन्स चिकित्सा/योग केन्द्र (आधारभूत संरचना, मशीन एवं उपकरण)**	**रू०60,000 /– प्रति ब्लॉक**	**रू०60,000/–**	
2.	**Recurring - मैनपावर, रख–रखाव एवं इत्यादि**	**रू० 5,40,000 /– प्रति ब्लॉक**	**रू० 5,40,000/–**	
2.1	प्रखण्ड में जनसंख्या की गणना	रू० 16,000 /– प्रति ब्लॉक	रू० 16,000/–	
2.2	जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना	रू० 20,000 /– प्रति ब्लॉक	रू० 20,000/–	
2.3	आयुष चिकित्सक/योग प्रशिक्षक	रू० 15,000x1x12 माह	रू० 1,80,000/–	
2.4	प्रशिक्षण	रू० 29,500/– प्रति ब्लॉक	रू० 29,500/–	
2.5	शिविर एवं प्रदर्शनी	रू० 89,000 /–प्रति ग्राम	रू० 89,000/–	
2.6	शिविर हेतु औषधि	रू० 91,500/– प्रति ग्रम	रू० 91,500/–	
2.7	सूचना, शिक्षा एवं संचार सामाग्री ब्लॉकस्तर	रू० 11,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 11,000/–	
2.8	सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु राज्य मुख्यालय स्तर हेतु राशि	रू० 40,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 40,000/–	
2.9	अन्य आवश्यक आपूर्तियाँ	रू० 50,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 50,000/–	
2.10	डाटा विश्लेषण (Data Analysis)	रू० 13,000/– प्रति ब्लॉक	रू० 13,000/–	
कुल राशि (प्रति ग्राम)			**रू० 5,40,000/–**	

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यय पत्रक–II

जिला..

ब्लॉक...

तहसील...

क्र०सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1	किट	20@150	3,000	
2	वर्किंग लंच / चाय नाश्ता	20@200	4,000	
3	मानदेय संन्दर्भ व्यक्ति (01–राज्य स्तरीय@1000/- 03–जिला स्तरीय @500/-)	–	2,500	
4	प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर एल.ई.डी. आदि व्यवस्था	–	10,000	
5	स्थानीय परिवहन एवं परिधीय गॉवों हेतु परिवहन व्यय, अन्य व्यय–फोटोग्राफर, स्टेशनरी, फोटो स्टेट टाईपिंग, रिर्पोटिंग आदि स्थानीय व्यवस्था आदि	–	10,000	
		कुल योग	**29,500**	

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

एक दिवसीय शिविर

व्यय पत्रक–III

क्रं० सं०	विषय	विवरण	अनुमानित व्यय	वास्तवीक व्यय (Rs.)
1.	शिविर हेतु आई.ई.सी. (फलेक्स, बैनर, पोस्टर आदि)		4500.00	
2.	मानदेय	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@1000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 03–आयुष चिकित्सक @500/-)	3000.00	
3.	मोबिलिटी सपोर्ट	(01–राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक@6000/- /01–जिला स्तरीय पर्यवेक्षक एवं 02–आयुष चिकित्सक @1500/-)	7500.00	
4.	वर्किंग लंच, चाय नाश्ता आदि	30@200x2	12000.00	
5.	स्थानीय परिवहन व्यय, प्रचार–प्रसार, पम्पलेट वितरण, मॉनीटरिंग		14500.00	
6.	अन्य व्यय फोटोग्राफर, स्टेशनरी, मोबेलिटी, टाईपिंग, रिर्पोटंग, माईक, टेन्ट, विद्युत, जल व्यवस्था, विडियों, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, स्थान का किराया , आकस्मिक व्यय आदि		28500.00	
कुल			70000.00	
7.	औषध व्यवस्था		19000.00	
कुल व्यय			**89000.00**	

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

प्रपत्र–IV (ए)

ब्लॉक स्तरीय जनसंख्या की गणना

जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम..

जिला की कुल जनसंख्या–.. ब्लॉक की कुल जनसंख्या–..................................

दिनांक.....................

1.	**Number of Villages**			
2.	**Number of Towns**			
3.	**Number of Households**			
4.	**Population**	**Males**	**Females**	**Persons**
	Rural			
	Urban			
	Total			

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

<u>आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा</u>

प्रपत्र–IV (बी)

जनसंख्या में व्यधियों की संख्या की गणना

नाम –.. पिता का नाम.–...

उम्र.. लिंग................................ वैवाहिक स्थिति...

पता–..

....

जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम................................

मोबाईल नं०–.................................. नजदिकी आयुष औषधालय का नाम–...

नजदिकी स्वास्थ्य संस्थान का नाम–...

दिनांक.....................

Sl. No.	Disease Name	Yes (√)
	संचारी रोग (Communicable Disease)	
1.	Hepatitis B – C	
2.	Malaria	
3.	Dengue	
4.	Tuberculosis	
5.	HIV	
6.	COVID.19	
7.	Chikungunya Virus	
8.	Influenza	
9.	Cholera	
10.	Encephalitis	
11.	Others (Disease Name)	
	गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease)	
1.	Diabetes	
2.	Blood Pressure	
3.	Thyroid	
4.	Carcinoma	
5.	Filariasis	
6.	Anemia	
7.	Mental Stress	
8.	Others (Disease Name)	

गणना करने वाले आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –...

....

हस्ताक्षर

दिनांक.....................

आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

प्रपत्र–IV (सी)

ब्लॉक स्तरीय जनसंख्या की गणना

जिला का नाम – .... ब्लॉक का नाम.................................

जिला की कुल जनसंख्या–.. ब्लॉक की कुल जनसंख्या–..................................

दिनांक.....................

1.	**Number of Villages**			
2.	**Number of Towns**			
	Number of Households			
3.	**Population**	**Males**	**Males**	**Persons**
	Rural			
	Urban			
	Total			

Sl. No.	**Disease Name**	**Total No. of Patent**	**Total No. of Patent Refered in nerest FRU**
	संचारी रोग (Communicable Disease)		
1.	Hepatitis B – C		
2.	Malaria		
3.	Dengue		
4.	Tuberculosis		
5.	HIV		
6.	COVID.19		
7.	Chikungunya Virus		
8.	Influenza		
9.	Cholera		
10.	Encephalitis		
11.	Others (Disease Name)		
	गैर संचारी रोग (Non-Communicable Disease)		
1.	Diabetes		
2.	Blood Pressure		
3.	Thyroid		
4.	Carcinoma		
5.	Filariasis		
6.	Anemia		
7.	Mental Stress		
8.	Others (Disease Name)		

?

हस्ताक्षर
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

हस्ताक्षर
सहायक नोडल अधिकारी
(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत चलाये जाने वालेमुख्य 04 कार्यक्रमों में कुल वित्तिय वर्ष 2015–16 एवं वित्तिय वर्ष 2019–20 सहायता राशि

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	कुल जिला	कुल ब्लॉक	कुल कार्यक्रम	कुल राशि
1.	सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गतिविधि (Public Health Outreach Activity)	07	14	14	रू० 33,00,000 / —
2.	आयुष ग्राम (AYUSH Gram)	07	14	24	रू० 1,20,00,000 / —
3.	आयुष के माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme)	03	03	03	रू० 3,00,000 / —
4.	आयुष वेलनेस सेन्टर के द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (AYUSH Wellness Centre through Yoga & Naturopathy) / आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर (AYUSH Health & Wellness Centre)	04	04	04	रू० 24,00,000 / —
				कुल राशि	**रू० 1,80,00,000 / —**

धन्यवाद